PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 146
दि. 25.09.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

चुनाव आयोग पर घमासान तेज, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष फिर लाएगा हटाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की व्यापक राजनीतिक मुहिम में बदलता जा रहा है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उसके भीतर कथित मतभेदों को लेकर विपक्षी दलों ने मोर्चा तेज कर दिया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में नया प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव का मसौदा कानूनी विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया जा रहा है और विपक्षी दलों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है।

विपक्ष का यह कदम उस रिपोर्ट के बाद सामने आया है, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब दस महीनों के दौरान चुनाव आयोग के कई फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्तियां दर्ज कराईं। रिपोर्ट में एसआईआर से जुड़े निर्णयों सहित आयोग के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए जाने का उल्लेख किया गया है। विपक्ष ने इन कथित आपत्तियों को चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल के रूप में पेश किया है और इसे मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई का आधार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।

हालांकि चुनाव आयोग ने इन रिपोर्टों पर अलग रुख रखा है। आयोग का कहना है कि किसी मुद्दे पर आयुक्तों के बीच अलग-अलग राय होना संस्थागत विचार-विमर्श की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग ने कहा कि आंतरिक टिप्पणियों, सवालों और सुझावों को अंतिम निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए तथा एसआईआर समेत आयोग के सभी अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि उसके कामकाज में आंतरिक जांच-पड़ताल और अलग-अलग विचार संस्थागत

पारदर्शिता तथा कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

विपक्ष इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने अपने स्तर पर इस मुद्दे को संसद के साथ-साथ देशव्यापी आंदोलन से जोड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने 25 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को अपने-अपने राज्यों में चुनाव आयोग के कार्यालयों तक विरोध मार्च निकालने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस विपक्षी दलों को साथ लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में प्रस्ताव आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, दोनों सदनों में नोटिस दिए जाने की प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में आगे बढ़ सकती है।

वाम दलों ने भी एसआईआर के खिलाफ देशव्यापी कार्यक्रम का ऐलान किया है। माकपा महासचिव एमए बेबी, भाकपा महासचिव डी राजा और भाकपा-माले लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य की बैठक के बाद 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विरोध कार्यक्रम चलाने का फैसला किया गया है। वाम दलों ने एसआईआर पर रोक लगाने और जिन पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा शामिल करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें पात्र नागरिकों का मताधिकार किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो।

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर चुनाव प्रेक्षकों के एक पुराने व्हाट्सऐप समूह के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए दावा किया कि उनमें आयोग के निर्देशों और कामकाज को लेकर स्वयं प्रेक्षकों की ओर से सवाल उठाए गए थे। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल विपक्षी आवाजों को प्रभावित करने के लिए किया गया। हालांकि इन आरोपों को चुनाव आयोग की ओर से स्वीकार किए जाने की बात सामने नहीं आई है।

विपक्ष की ओर से सबसे तीखी प्रतिक्रिया लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की रही है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि यदि उन्हें चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कथित घटनाक्रम की जानकारी है तो उन्हें सामने आकर गवाही देनी चाहिए। राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर अपने पहले से लगाए जा रहे आरोपों को दोहराते हुए कहा कि मतदाता का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का असर केवल चुनाव परिणाम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव कानून और लोकतांत्रिक संस्थाओं तक पड़ सकता है।

राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कथित धांधली का भी आरोप लगाया और कहा कि उनके पास अपने दावों को लेकर ठोस जानकारी है। उन्होंने सत्ता विरोधी रुझान का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सरकारों को समय-समय पर जनता के असंतोष का सामना करना पड़ता है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए सत्ता विरोधी माहौल की राजनीति पर अपनी बात रखी। ये उनके राजनीतिक दावे हैं और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि या न्यायिक निष्कर्ष अलग विषय है।

राहुल गांधी ने अपने आरोपों का दायरा चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी राजनीतिक आरोप लगाए और कहा कि चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का निर्वाचन कथित रूप से गलत तरीके से प्रभावित मतदाता सूची या मतदान प्रक्रिया के आधार पर हुआ है तो उससे आगे बनने वाली व्यवस्था की वैधता पर भी सवाल उठ सकते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने अपने 'वोट चोरी' के आरोप को कानून और संस्थाओं तक जोड़ते हुए इसे व्यापक लोकतांत्रिक मुद्दा बताया।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम की भूमिका पर आपत्ति जताते हुए विपक्ष से बैलेट पेपर के मुद्दे पर आंदोलन करने की अपील की है। यह मांग राजनीतिक दलों के बीच लंबे समय से बहस का विषय रही है। चुनाव आयोग दूसरी ओर ईवीएम आधारित मतदान व्यवस्था और अपनी चुनावी प्रक्रियाओं का बचाव करता रहा है।

गोवा में 97 मतदाताओं के नाम अंतिम सूची से छूटे, चुनाव आयोग की व्यवस्था पर उठे सवाल

नई दिल्ली। गोवा में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 97 ऐसे मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हो पाने का मामला सामने आया है, जिन्हें स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों ने दस्तावेजों और आपत्तियों की जांच के बाद मतदाता सूची में शामिल किए जाने के योग्य पाया था। मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग की तकनीकी व्यवस्था और स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों के अधिकारों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने इन मतदाताओं के नाम दोबारा सूची में शामिल करने के लिए चुनाव आयोग से सात दिनों के भीतर आठ बार संपर्क किया था, लेकिन अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले ईसीआई-नेट में नाम वापस जोड़ने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

मामला विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान शुरू हुआ। एसआईआर प्रक्रिया में गोवा के कुछ मतदाताओं के नाम पुराने मतदाता रिकॉर्ड से उनके माता-पिता या दादा-दादी के नाम का मिलान नहीं होने के कारण 'तार्किक विसंगति' की श्रेणी में आए थे। ऐसे मतदाताओं को दस्तावेज पेश करने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर

दिया गया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 649 मतदाता अधिकारियों के समक्ष पहुंचे। इनके मामलों की जांच निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों ने की। जांच के बाद 97 मामलों में स्थानीय अधिकारियों ने पाया कि संबंधित मतदाता अंतिम सूची में शामिल किए जाने के योग्य हैं और पहले हटाने के निर्णय को पलटा जाना चाहिए।

इसके बाद असली समस्या सामने आई। स्थानीय अधिकारियों के निर्णय के बावजूद मतदाता सूची में नाम दोबारा दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे केंद्रीकृत ईसीआई-नेट सॉफ्टवेयर में 'रोलबैक' की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसका अर्थ यह था कि एक बार प्रपत्र-7 के माध्यम से किसी मतदाता का नाम हटाने की प्रक्रिया सिस्टम में दर्ज हो जाने के बाद स्थानीय निर्वाचन अधिकारी उसी प्रक्रिया को सीधे पलटकर नाम वापस नहीं जोड़ सकते थे। चुनाव आयोग ने इंडिया टुडे को दिए स्पष्टीकरण में इसी तकनीकी व्यवस्था का हवाला दिया है। आयोग के अनुसार, ईआरओ-नेट पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ने और हटाने का अधिकार है, लेकिन एक बार प्रपत्र-7 के जरिए नाम हटाने की कार्रवाई दर्ज होने के बाद उसे वापस लेने के लिए ईसीआई-नेट में रोलबैक विकल्प उपलब्ध नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार, गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने इस तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए 11 से 17 फरवरी के बीच वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार संपर्क किया। इस अवधि में आठ ई-मेल और अनुरोध भेजे गए। इनका उद्देश्य सिस्टम में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराना था, जिससे स्थानीय अधिकारियों द्वारा पात्र पाए गए 97 मतदाताओं के नाम अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले वापस जोड़े जा सकें। लेकिन 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक यह सुविधा सक्रिय नहीं हो सकी और संबंधित 97 नाम सूची में शामिल नहीं हो पाए। मामले ने इसलिए भी गंभीर रूप ले लिया है क्योंकि यहां सवाल केवल तकनीकी खराबी का नहीं, बल्कि स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों के निर्णय को लागू करने की क्षमता का भी है। भारतीय निर्वाचन कानूनों के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की प्रक्रिया में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों की महत्वपूर्ण वैधानिक भूमिका होती है। विवाद इस बात को लेकर है कि यदि स्थानीय स्तर पर नियुक्त अधिकारी दस्तावेजों की जांच के बाद किसी मतदाता को पात्र मानते हैं, तो क्या केंद्रीय सॉफ्टवेयर व्यवस्था ऐसी स्थिति में उनके निर्णय को लागू करने में बाधा बन सकती है। रिपोर्टों में इसी सवाल को लेकर चुनाव आयोग की केंद्रीकृत आईटी व्यवस्था पर बहस शुरू हुई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 97 मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं होने संबंधी रिपोर्ट का हवाला देते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई।

भाजपा ने संगठन में किए बड़े बदलाव, शिवप्रकाश और सौदान सिंह को राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा फेरबदल करते हुए राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर कई नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 24 सितंबर को 24 संगठनात्मक नियुक्तियों की घोषणा की। इनमें राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री संगठन, प्रदेश महामंत्री संगठन, प्रदेश संयुक्त महामंत्री संगठन और विभिन्न क्षेत्रों के संगठक शामिल हैं। पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।

नई व्यवस्था में शिवप्रकाश और सौदान सिंह को राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। शिवप्रकाश को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा के संगठनात्मक मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका कार्य केंद्र मुंबई रहेगा। वहीं सौदान सिंह को बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई है और उनका केंद्र भुवनेश्वर निर्धारित किया गया है। इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी ने कई राज्यों में संगठनात्मक समन्वय और गतिविधियों की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी नेताओं को दी है।

महाराष्ट्र में भी संगठन के स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अजय जामवाल को प्रदेश महामंत्री संगठन नियुक्त किया गया है। वहीं सतीश धोंड को प्रदेश संयुक्त महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। धोंड को महाराष्ट्र की संगठनात्मक जिम्मेदारी के साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में जनजाति संपर्क का दायित्व भी सौंपा गया है। उनका कार्य केंद्र नागपुर रहेगा।

पार्टी ने संगठन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी नियुक्तियां की हैं। वी. सतीश को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मोर्चों तथा पार्टी के संसदीय कार्यालय का संगठक बनाया गया है। उनका केंद्र दिल्ली रहेगा। वहीं नागेंद्र को वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क अभियान का संगठक नियुक्त किया गया है और उनका कार्य केंद्र भी दिल्ली होगा। इन जिम्मेदारियों के जरिए पार्टी ने संगठन के भीतर विभिन्न वर्गों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संपर्क से जुड़े काम को अलग जिम्मेदारी दी है। राज्यों में संगठन महामंत्रियों की नियुक्तियों के तहत मधुकर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि दशरथ को तेलंगाना में प्रदेश संयुक्त महामंत्री संगठन बनाया गया है। रविंद्र राजू को असम और त्रिपुरा का प्रदेश महामंत्री संगठन नियुक्त किया गया है। उनके जिम्मे कार्यालय निर्माण से जुड़ा दायित्व भी रहेगा। बिहार में भिखुभाई दलसानिया को प्रदेश महामंत्री संगठन और झारखंड में पवन साई को इसी पद की जिम्मेदारी दी गई है। सिद्धार्थन को हिमाचल प्रदेश का प्रदेश महामंत्री संगठन नियुक्त किया गया है। गुजरात में रत्नाकर को प्रदेश महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अरुण बिन्नाडी को प्रदेश संयुक्त महामंत्री संगठन बनाया गया है। बिन्नाडी का कार्य केंद्र राजकोट रहेगा। उत्तराखंड में फणींद्रनाथ शर्मा को प्रदेश महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली और हरियाणा के लिए पवन राणा को प्रदेश महामंत्री संगठन बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में कर्मवीर और मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर को प्रदेश महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी दी गई है।

ओडिशा में मानस मोहंती को प्रदेश महामंत्री संगठन बनाया गया है। पंजाब और चंडीगढ़ की संगठनात्मक जिम्मेदारी मंत्री श्रीनिवासुलु को दी गई है। उत्तर प्रदेश में धर्मपाल को प्रदेश महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी फिर सौंपी गई है और उनका कार्य केंद्र लखनऊ रहेगा। पश्चिम बंगाल में अमिताभ चक्रवर्ती को प्रदेश महामंत्री संगठन नियुक्त किया गया है। इस तरह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में संगठन की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। पार्टी ने क्षेत्रीय संगठन को मजबूत करने के लिए भी नियुक्तियां की हैं। अभय गिरि को ब्रज क्षेत्र का संगठक बनाया गया है और उनका केंद्र आगरा रहेगा। वहीं अनंत नारायण मिश्रा को बिहार के भागलपुर, पूर्णिया और कोसी क्षेत्र का संगठक बनाया गया है। उनका कार्य केंद्र पूर्णिया निर्धारित किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही पार्टी ने क्षेत्रीय स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदारियां तय की हैं।

भाजपा का यह फेरबदल ऐसे समय हुआ है जब पार्टी ने एक दिन पहले ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदेश प्रभारियों और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की थी। 23 सितंबर को घोषित उस व्यवस्था में उत्तर प्रदेश का प्रभारी विनोद तावड़े को बनाया गया है। उनके साथ जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब का प्रभार सतीश पूनिया को दिया गया है, जबकि राम माधव को उत्तराखंड और तमिलनाडु की जिम्मेदारी मिली है। गोवा के लिए भारती पवार और मणिपुर के लिए राजदीप रॉय को प्रभारी बनाया गया है। राज्य प्रभारियों की नियुक्तियों में महाराष्ट्र की जिम्मेदारी बैजयंत जय पांडा को दी गई है, जबकि गुजरात का प्रभार तरुण चुघ को सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के लिए सुनील बंसल को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में हरिश द्विवेदी, मध्य प्रदेश में बिप्लब कुमार देब और ओडिशा में डी. पुरंदेश्वरी को प्रभारी बनाया गया है। पार्टी ने कई राज्यों में सह-प्रभारियों की भी नियुक्ति की है।

रिटायर हाईकोर्ट जजों की सुविधाओं में खत्म हो असमानता सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दी समान नीति बनाने की सलाह

नई दिल्ली। देशभर में सेवानिवृत्त हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सुविधाओं में अलग-अलग नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक समान नीति तैयार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं में राज्यों के बीच अत्यधिक अंतर नहीं होना चाहिए और इस संबंध में पूरे देश के लिए एक व्यापक एवं समान व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सुझाव दिया कि इस नीति को तैयार करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसी पूर्व हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश को सौंपी जाए, ताकि न्यायिक व्यवस्था से जुड़े व्यावहारिक अनुभव का लाभ नीति तैयार करने में मिल सके।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीशों की सुविधाओं को लेकर एक समिति गठित करने का निर्णय लिया जा चुका है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि समिति के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है और उसके प्रमुख के रूप में पूर्व सचिव स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि समिति की अध्यक्षता किसी पूर्व हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश को दी जानी चाहिए। पीठ का मानना था कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके व्यक्ति को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की आवश्यकताओं और व्यावहारिक कठिनाइयों की बेहतर समझ हो सकती है। अदालत के इस सुझाव पर केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी और 28 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई के दौरान अपना जवाब अदालत के समक्ष रखेगी।

यह मामला सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीशों को मिलने वाली सुविधाओं में राज्यों के बीच मौजूद अंतर से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मुद्दा आया कि अलग-अलग राज्यों में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए अलग-अलग नियम लागू हैं। कहीं कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं तो कहीं उनके लिए अलग शर्तें हैं। अदालत ने इस स्थिति को देखते हुए देशभर में एक समान नीति की आवश्यकता पर जोर दिया है।

सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को मिलने वाली सुविधाओं में घरेलू सहायता, चालक, टेलीफोन, चिकित्सा खर्च और सरकारी आवास में ठहरने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन सुविधाओं को लेकर राज्यों में अलग-अलग व्यवस्था होने के कारण सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बीच भी परिस्थितियों में अंतर पैदा होता है। अदालत के समक्ष इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था स्पष्ट, समान और व्यावहारिक होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से समिति गठित किए जाने के निर्णय को महत्वपूर्ण कदम माना, लेकिन साथ ही समिति की संरचना और अध्यक्ष के चयन को लेकर अपना सुझाव दिया। मुख्य न्यायाधीश की ओर से पूर्व हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश को समिति का नेतृत्व सौंपने का सुझाव इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया कि नीति तैयार करने के दौरान न्यायिक संस्थानों की वास्तविक जरूरतों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं को भी समझा जा सके। अदालत के समक्ष यह सवाल केवल सुविधाओं की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में समान पद पर रहे न्यायिक अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की व्यवस्था में अत्यधिक अंतर क्यों हो। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसलिए अदालत चाहती है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं के लिए एक ऐसी नीति तैयार हो, जिसमें राज्यों के बीच अनावश्यक असमानता को कम किया जा सके। प्रस्तावित समिति के सामने कई राज्यों में लागू मौजूदा नियमों और सुविधाओं का अध्ययन करने की जिम्मेदारी हो सकती है। इसके बाद समिति यह देख सकती है कि कौन-कौन सी सुविधाएं सभी सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीशों के लिए समान रूप से उपलब्ध कराई जा सकती हैं और किन सुविधाओं के लिए अलग व्यवस्था की जरूरत है। समिति के सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार देशभर के लिए एक व्यापक नीति तैयार कर सकती है।

मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होनी है। इस दौरान केंद्र सरकार अदालत को यह बताएगी कि समिति की अध्यक्षता को लेकर मुख्य न्यायाधीश के सुझाव पर क्या निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही समिति के गठन, उसके सदस्यों और कार्यक्षेत्र को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में देशभर में एक समान व्यवस्था तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अदालत का जोर इस बात पर है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं राज्यों के अलग-अलग नियमों पर अत्यधिक निर्भर न रहें और उनके लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति हो। अब केंद्र सरकार की ओर से 28 सितंबर को दिए जाने वाले जवाब और प्रस्तावित समिति की संरचना पर आगे की दिशा तय होगी।

संपादकीय

खुद दवा लेने का रोग

विकसित व पश्चिमी देशों में गंभीर रोगों और सर्जरी तक में कम से कम दवा देने की नीति का सख्ती से पालन किया जाता है। इसके उलट हमारे देश में खांसी-जुकाम व सामान्य बुखार में भी पेनकिलर्स और एंटीबायोटिक्स का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। हम मेडिकल स्टोरों से दवा खरीद लाते हैं और खुद ही चिकित्सक बन जाते हैं। यही वजह है कि एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण तमाम रोगियों पर ये दवाइयां कालांतर असर नहीं करती हैं। जो एक गंभीर चिकित्सीय खतरों की ओर इशारा करती है। ऐसे में दर्द कम करने वाली दवाओं यानी पेनकिलर्स और एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकने के लिये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन की हालिया सलाह, पब्लिक हेल्थ संकट की गंभीरता को ही दर्शाती है। यह विडंबना ही है कि जिन दवाओं का इस्तेमाल बेहद जरूरी होने तथा डॉक्टर की सलाह पर होना चाहिए, उन्हें हम अक्सर बचाव के तौर पर या मामूली संक्रमण के लिये भी लेने लगते हैं। दरअसल, हमारे शरीर का जैविक सुरक्षातंत्र खासा मजबूत होता है, जो मामूली संक्रमण व बीमारियों से खुद ही निबट सकता है। लेकिन उसकी प्रक्रिया कुदरती तौर पर धीमी होती है। यह बेहद चिंता की बात है कि एंटीबायोटिक्स के जरूरत से ज्यादा और गलत इस्तेमाल की प्रवृत्ति ने देश को ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस संकट के केंद्र में ला खड़ा किया है। इस संकट की एक बड़ी वजह यह भी है कि इन दवाओं के दुरुपयोग को लेकर आम लोगों की जानकारी बेहद कम है। जिसका लाभ आधी-अधूरी डिग्रियों वाले नीम-हकीम उठाते हैं और जल्दी ठीक करने का दावा करके मरीजों से कमाई करते हैं। लोग इस बात से वाकिफ नहीं होते कि इन दवाओं के बुरे असर यानी दवा के विपरीत रिएक्शन से किडनी आदि की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर अधिक दवाइयां लेने का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दरअसल, बिना चिकित्सक के परामर्श के दवाइयों की सहज उपलब्धता तथा लोगों में बढ़ती सेल्फ-मेडिकेशन की प्रवृत्ति ने भी इस संकट को बढ़ाया है। इस संकट का एक पहलू यह भी है कि कुछ चिकित्सकों में भी जरूरत से ज्यादा दवाइयां लिखने और ज्यादा पैसे वसूलने की प्रवृत्ति पायी जाती है। ऐसी गलत प्रथाओं ने मेडिकल सिस्टम के प्रति लोगों में अविश्वास भी पैदा किया है। वहीं गरीबी के चलते पैसे की तंगी, सांस्कृतिक मान्यताओं और केमिस्टों के अनौपचारिक डॉक्टर के तौर पर बेरोकटोक काम करने से भी इस समस्या को बढ़ावा मिला है। अकसर यह महसूस किया जाता है कि देश की पूरी हेल्थकेयर श्रृंखला में पेशागत आचार-संहिता की नितांत कमी है। वहीं दूसरी ओर नियामक संस्थाओं की सख्त निगरानी पूरी तरह नदारद नजर आती है। सही मायने में प्रभावी बदलावों के लिये प्रोटोकॉल में कई स्तरों पर सुधार की जरूरत होगी। जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का व्यवहार नैतिक और जिम्मेदार होना है। निश्चय ही आज के समय में यह बेहद गंभीर चुनौती है क्योंकि इस वर्ग में अंधा मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति लगातार अनियंत्रित होती नजर आ रही है। जिसके चलते कमजोर वर्ग से आने वाले मरीज खुद ही बीमारी का अंदाजा लगाने और डॉक्टर की सलाह के बिना इलाज करने की दिशा में बढ़ जाते हैं। जब तक रोग बेहद गंभीर स्थिति में न पहुंच जाए, तब तक मरीज डॉक्टर के पास जाने से बचने की कोशिश करते हैं। वास्तव में किसी रोगी के उपचार के लिये लिखी गई दवाइयों की सख्ती से जांच करने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ फार्मेसी में सीसीटीवी कैमरे लगाने से काम नहीं चलेगा। वैसे यह भी हकीकत है कि इस बाबत सख्त गाइडलाइंस जारी करने पर, इससे बचाव के चक्कर में दवाइयों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। वक्त की मांग है कि नागरिकों को सेल्फ-मेडिकेशन और एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिये देशव्यापी अभियान चलाया जाए। हालांकि, रातों-रात ढांचागत कमियां दूर न होंगी और आदतें बदलने में समय लगेगा। लेकिन हेल्थकेयर व फार्मास्युटिकल सेक्टर को भी मुनाफे के बजाय मरीजों के हितों को प्राथमिकता देनी होगी।

Kashmir राग अलापने वाले Erdogan पहले Greece और Cyprus के साथ Turkey के टकराव को बंद करने पर ध्यान दें

> “ इस बार भी नई दिल्ली ने एर्दोगन की टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया है। भारत का संदेश साफ है कि कश्मीर पर बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच ही हो सकती है और आतंकवाद तथा हिंसा के माहौल में संवाद की शर्तें भी भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है।

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने एक बार फिर कश्मीर का राग छेड़कर भारत के आंतरिक और द्विपक्षीय विषय में दखल देने की कोशिश की है। एर्दोगन ने कहा कि दक्षिण एशिया में कश्मीर सहित सभी विवादों का समाधान संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र और संबंधित प्रस्तावों के दायरे में बातचीत के जरिए होना चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया है जब तुर्किये, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच अगस्त में मक्का संयुक्त रक्षा समझौता हो चुका है।लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर पर नसीहत देने वाले एर्दोगन क्या पहले अपने पड़ोस में शांति और सीमा विवादों का समाधान करेंगे? उल्लेखनीय है कि तुर्किये के अपने पड़ोसियों के साथ कई पुराने और गंभीर क्षेत्रीय विवाद हैं। यूनान के साथ एजियन सागर और पूर्वी भूमध्यसागर में समुद्री सीमाओं, महाद्वीपीय पट्टी और विशेष आर्थिक क्षेत्र को लेकर लंबे समय से टकराव चला आ रहा है। तुर्किये और साइप्रस के बीच विवाद तो 1974 के बाद से आज तक कायम है और संयुक्त राष्ट्र शांति व्यवस्था के बावजूद द्वीप विभाजित है। यही नहीं, पूर्वी भूमध्यसागर में ऊर्जा संसाधनों को लेकर भी अंकारा का यूनान और साइप्रस के साथ टकराव रहा है। साथ ही तुर्किये ने उन समुद्री क्षेत्रों में ऊर्जा खोज गतिविधियां की हैं, जिन पर यूनान और साइप्रस अधिकार का दावा करते हैं। इन गतिविधियों के कारण क्षेत्र में सैन्य तनाव तक पैदा हुआ है।

साइप्रस का सवाल इससे भी ज्यादा संवेदनशील है। तुर्की सेना ने 1974 में साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया था और आज भी द्वीप का विभाजन कायम है। संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर इस विवाद के समाधान की कोशिशें दशकों से चल रही हैं। ऐसे में एर्दोगन अगर दुनिया को सीमा विवादों और संवाद का पाठ पढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक सवाल उठता है कि क्या वही सिद्धांत तुर्किये अपने पड़ोस में भी उतनी ही गंभीरता से लागू करेगा?

यही वजह है कि एर्दोगन की कश्मीर पर टिप्पणी भारत के लिए केवल एक बयान नहीं, बल्कि कूटनीतिक दखल के रूप में देखी जा रही है। जबकि भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। साथ ही भारत-पाकिस्तान से जुड़े विषयों पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। पिछले वर्ष भी एर्दोगन की ऐसी टिप्पणी पर भारत ने स्पष्ट किया था कि कश्मीर पर उसका रुख नहीं बदला है और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है।

इस बार भी नई दिल्ली ने एर्दोगन की टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया है। भारत का संदेश साफ है कि कश्मीर पर बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच ही हो सकती है और आतंकवाद तथा हिंसा के माहौल में संवाद की शर्तें भी भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है।

दूसरी ओर, एर्दोगन की यह सक्रियता तुर्किये और पाकिस्तान की बढ़ती रणनीतिक नजदीकी की पृष्ठभूमि में भी देखी जा रही है। अगस्त में तुर्किये, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही 2025 के भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव के दौरान अंकारा का पाकिस्तान के प्रति समर्थन भी भारत-तुर्किये संबंधों में तनाव का बड़ा कारण बना। भारत ने उस दौरान तुर्किये की ओर से पाकिस्तान को मिले समर्थन और सैन्य सहायता पर अपनी चिंता स्पष्ट रूप से दर्ज कराई थी। इसका असर सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी दिखाई दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्किये की ओर से मिले समर्थन को देखते हुए भारत में तुर्किये के सामान के बहिष्कार की व्यापक मुहिम चली। दिल्ली की आजादपुर मंडी ने तुर्किये से सेब और अन्य फल-सब्जियों के आयात रोक दिये। साथ ही अन्य राज्यों के बाजारों में भी तुर्किये के सेब का बहिष्कार हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में भी कारोबारियों ने तुर्किये के सेब खरीदना बंद कर दिया और स्थानीय तथा दूसरे देशों के विकल्पों की ओर रुख किया। उस समय रिपोर्टों में सिर्फ पुणे के बाजार में ही तुर्किये के सेब के कारोबार का मौसमी मूल्य लगभग 1,000 से 1,200 करोड़ रुपये तक बताया गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुर्किये के मात्र सेब खरीदना बंद कर ही उसे कितना नुकसान पहुँचाया गया था। यही नहीं, व्यापक व्यापार के स्तर पर भी दोनों देशों के बीच कारोबार में काफी गिरावट दर्ज की गयी है। इस तरह अंकारा के पाकिस्तान-समर्थक रुख की भारत में केवल राजनीतिक आलोचना नहीं हुई, बल्कि उसका असर व्यापार, पर्यटन और तुर्किये के उत्पादों की भारतीय मांग पर भी पड़ा। उधर, भारत की ओर से तुर्किये की नापाक नीतियों का जवाब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं दिखता। नई दिल्ली ने तुर्किये के क्षेत्रीय रुख को देखते हुए यूनान और साइप्रस के साथ अपने रणनीतिक तथा समुद्री सहयोग को भी महत्व दिया है। संदेश साफ है। अगर अंकारा पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चा खोलता है, तो भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय साझेदारियों के आधार पर जवाब देगा। बहरहाल, एर्दोगन को कश्मीर पर उपदेश देने से पहले अपने आसपास के विवादों की ओर देखना चाहिए। दुनिया के किसी भी देश को संवाद, संप्रभुता और शांतिपूर्ण समाधान की सीख देने का नैतिक आधार तभी मजबूत होता है, जब वही कसौटी अपने व्यवहार पर भी लागू की जाए। भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर पर बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा और तुर्किये की ऐसी हिमाकत का जवाब कूटनीतिक स्तर पर भी दिया जाएगा और रणनीतिक स्तर पर भी।

प्रेरणा

शरीर सीमित है, लेकिन चेतना का संसार असीम है

मनुष्य जब अपने अस्तित्व के बारे में विचार करता है, तो उसके सामने सबसे गहरे प्रश्नों में एक प्रश्न आत्मा का होता है। हम अपने शरीर को देखते हैं, मन में उठने वाले विचारों को अनुभव करते हैं और इंद्रियों के माध्यम से संसार को जानते हैं। लेकिन इन सबके पीछे वह कौन-सी शक्ति है, जिसके कारण हमें अपने अस्तित्व का बोध होता है? भारतीय दर्शन ने इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में आत्मा को चेतना का आधार माना है। शास्त्रों में आत्मा को व्यापक और सर्वव्यापी बताया गया है, लेकिन सामान्य मनुष्य के अनुभव सीमित दिखाई देते हैं। इसी अंतर को समझने के लिए एक दिन शिष्य अग्निवेश ने अपने गुरु आत्रेय से कई प्रश्न किए।

अग्निवेश ने गुरु के चरणों में बैठकर कहा, “गुरुदेव! यदि आत्मा हर जगह मौजूद है, तो फिर मेरे जीवन में होने वाली घटनाओं का अनुभव केवल मुझे ही क्यों होता है? यदि किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगती है, तो उसकी पीड़ा मेरे भीतर उसी प्रकार क्यों नहीं उठती? यदि आत्मा एक ही और सर्वत्र है, तो अनुभव अलग-अलग क्यों हैं?”

आचार्य आत्रेय ने कहा, “वत्स! तुम्हारे प्रश्न का उत्तर शरीर और चेतना के संबंध को समझे बिना नहीं मिल सकता। आत्मा को व्यापक माना गया है, लेकिन मनुष्य जिस सुख-दुःख का अनुभव करता है, वह शरीर, इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रकट होता है। जिस शरीर के साथ किसी जीव का मन और इंद्रियां जुड़ी होती हैं, उसी शरीर से संबंधित घटनाएं उसके व्यक्तिगत अनुभव का हिस्सा बनती हैं।”

गुरु ने समझाया, “मान लो तुम्हारे पैर में चोट लगती है। त्वचा उस चोट को अनुभव करती है, शरीर के भीतर उसके संकेत पहुंचते हैं और मन उस संकेत को पीड़ा के रूप में ग्रहण करता है। इसलिए तुम कहते हो कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। लेकिन यदि उसी समय किसी दूसरे व्यक्ति के पैर में चोट लग जाए, तो उसके शरीर की इंद्रियां उस घटना को ग्रहण करेंगी और उसका मन उस पीड़ा का अनुभव करेगा। तुम्हारी इंद्रियां उसके शरीर से जुड़ी नहीं हैं, इसलिए उसकी पीड़ा तुम्हारे शरीर की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं बनती।”

अग्निवेश ने कहा, “लेकिन गुरुदेव, यदि आत्मा सब जगह है तो क्या वह दूसरे व्यक्ति के शरीर में होने वाली घटना से अनजान हो सकती है?”

आचार्य ने उत्तर दिया, “यहां एक और सूक्ष्म अंतर समझना आवश्यक है। आत्मा की व्यापकता को इंद्रियों की कार्यक्षमता के समान नहीं माना जा सकता। आंख देखने का साधन है, कान सुनने का, नाक गंध ग्रहण करने का, त्वचा स्पर्श को समझने का और मन इन अनुभवों को व्यवस्थित करने का माध्यम है। इन सभी साधनों की अपनी सीमाएं हैं। आत्मा की व्यापकता इन सीमाओं से निर्धारित नहीं होती।”

अग्निवेश ने फिर पूछा, “यदि इंद्रियां सीमित हैं तो क्या इसी कारण हम दीवार के पीछे रखी वस्तु को नहीं देख पाते?”

गुरु ने कहा, “बिल्कुल। यदि तुम्हारे सामने कोई वस्तु रखी है और उसे देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश है, आंख स्वस्थ है तथा वस्तु और आंख के बीच कोई अवरोध नहीं है, तभी सामान्य रूप से उसका दृश्य ज्ञान होता है। लेकिन यदि बीच में दीवार खड़ी हो जाए तो आंख उस वस्तु को नहीं देख सकती। इसका कारण यह नहीं कि चेतना वहां उपस्थित नहीं है, बल्कि कारण यह है कि दृश्य ज्ञान प्राप्त करने वाला इंद्रिय-माध्यम उस वस्तु तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच पा रहा।”

उन्होंने आगे कहा, “पर्वत भी इसी प्रकार एक प्राकृतिक अवरोध बन सकता है। उसके पीछे स्थित वस्तु आंख के सामने नहीं होती। इसलिए सामान्य दृष्टि से उसका ज्ञान नहीं होता। इस उदाहरण से यह समझना चाहिए कि किसी वस्तु का दिखाई न देना और उसका अस्तित्व न होना एक ही बात नहीं है।”

आचार्य की बात सुनकर अग्निवेश विचार में डूब गए। गुरु ने कहा, “मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी इंद्रियों की सीमा को ही वास्तविकता की सीमा मान लेता है। जो दिखाई देता है, उसे सत्य मान लेता है और जो दिखाई नहीं देता, उसके अस्तित्व पर प्रश्न उठाने लगता है। जबकि संसार में ऐसी अनेक चीजें हैं जिन्हें हम सीधे नहीं देख सकते, फिर भी उनके प्रभाव को अनुभव करते हैं।”

फिर उन्होंने कहा, “दूसरे व्यक्ति का दुःख भी इसका उदाहरण है। तुम उसकी पीड़ा को अपने शरीर में महसूस नहीं करते, लेकिन उसके चेहरे के भाव, उसकी आवाज और उसके व्यवहार से उसके दुःख को समझ सकते हो। तुम्हारे भीतर करुणा उत्पन्न हो सकती है। यही करुणा मनुष्य को अपने सीमित अनुभव से आगे बढ़ने का अवसर देती है। दूसरे के दुःख को पूरी तरह अपने शरीर में महसूस करना आवश्यक नहीं, उसके प्रति संवेदनशील होना अधिक महत्वपूर्ण है।”

अग्निवेश ने पूछा, “तो क्या आत्मा और शरीर को अलग-अलग समझना चाहिए?”

आचार्य बोले, “शास्त्रीय दृष्टि से शरीर को अनुभव का साधन और आत्मा को चेतना का आधार माना गया है। शरीर बदलता है, इंद्रियों की शक्ति बदलती है और मन के विचार भी निरंतर बदलते रहते हैं। लेकिन इन परिवर्तनों को जानने वाला साक्षी तत्व आत्मा के रूप में समझाया गया है। इसलिए आत्मा की व्यापकता को शरीर की सीमाओं से नहीं मापा जा सकता।”

उस दिन अग्निवेश को एक महत्वपूर्ण सत्य समझ आया। मनुष्य का व्यक्तिगत सुख-दुःख उसके शरीर, मन और इंद्रियों से संबंधित है, जबकि आत्मा की व्यापकता उससे कहीं अधिक गहरी अवधारणा है। दीवार के पीछे वस्तु का दिखाई न देना, दूसरे व्यक्ति की पीड़ा का अपने शरीर में महसूस न होना या दूर की घटना का प्रत्यक्ष ज्ञान न होना आत्मा की सीमा नहीं, बल्कि इंद्रियों और मन की सीमाएं हैं। आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए मनुष्य को बाहरी संसार से आगे बढ़कर अपनी चेतना की ओर देखना पड़ता है। यही आत्मचिंतन धीरे-धीरे उस प्रश्न के निकट ले जाता है कि हम केवल शरीर हैं या उस चेतना के भी साक्षी हैं, जो शरीर और मन दोनों को अनुभव करने की क्षमता प्रदान करती है।

5 दिन बैंक बंद! कर्मचारियों के साथ ऐसा क्या हुआ? मेगा हड़ताल पर आ गए सभी, वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे

अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जैफर्सन ने बैंक्स और फाइनेंशियल स्टैब्लिशमेंट को देश की बॉर्डर पर तैनात आर्मी से भी ज्यादा खतरनाक बताया था। बात सही भी है। सरकारों को अपने प्रशासन, डिप्लोमेसी और युद्ध तक चलाने के लिए बैंक्स और कर्ज की जरूरत पड़ती ही हैं। जैफर्सन का इशारा इस बात पर था कि बैंक सिर्फ पैसे के लेन-देन की जगह नहीं हैं, बल्कि वे पूरे देश की नब्ज और सत्ता की रीढ़ हैं। जब यह रीढ़ कुछ दिनों के लिए भी काम करना बंद कर दे, तो पूरा देश ठहर जाता है। 28 सितंबर से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) की देशव्यापी हड़ताल इसी हकीकत की याद दिलाती है। फर्ज कीजिए महीने का आखिरी हफ्ता है। आपकी सैलरी आनी है। ईएमआई भी जानी होगी। किसी को चेक जमा करना है। किसी को बैंक से कैश निकालना है। और इसी बीच खबर आती है कि 28, 29 और 30 सितंबर को देश भर में बैंक स्ट्राइक होने वाली है। और कैलेंडर देखिए आप 26 सितंबर को फोर्थ सैटरडे है। बैंक की छुट्टी। 27 सितंबर संडे है बैंक की छुट्टी। और 28, 29 और 30 सितंबर को स्ट्राइक का कॉल है। यानी बैंक ब्रांच से काम करने वाले लोगों के लिए दिक्कत 3 दिन की नहीं लगातार 5 दिन तक खींच सकती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि वीकेंड के साथ मिलकर यह स्ट्राइक बैंकिंग सर्विज पर 5 दिन जैसा असर डाल सकती है। तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बैंक कर्मचारी स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? आपके लिए सवाल है क्या 30 तारीख की सैलरी आएगी? यूपीआई चलेगा या नहीं चलेगा? एटीएम में पैसा मिलेगा या नहीं? चेक क्लियर होगा, ईएमआई कटेगी और आपका कोई जरूरी काम बैंक ब्रांच में अटका हुआ है तो क्या अभी निपटा लेना चाहिए? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि लाखों बैंक कर्मचारी काम-काज चोड़कर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। सरकार इस मुद्दे पर क्या कर रही है? तमाम मामलों का एमआरआई स्कैन करेंगे।बैंक कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU ने इस हरताल को बुलाया है। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि बैंक्स में हफ्ते में पांच दिन के काम की व्यवस्था होनी चाहिए और हर शनिवार छुट्टी होनी चाहिए। बैंक यूनियन की मुख्य मांग है कि हफ्ते में सिर्फ पांच दिन बैंक खोलने की व्यवस्ता लागू हो। अभी बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं लेकिन बाकी दो शनिवार काम होता है। यूनियंस चाहती हैं कि सभी शनिवार को छुट्टी हो और सोमवार से शुक्रवार तक बैंक काम करें। दूसरी बड़ी मांग पीएलआई यानि परफॉर्मेंश लिंक्ड इंसेंटिव की है। इस योजना को वापस लेने की मांग है। सरकार ने फिलहाल इस योजना को स्थगित कर दिया है। नए बैंक कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने की मांग की गई है। इसके अलावा पेंशन अपडेट करना, पेंशन पर युनिफॉर्म, डीए पेंशनर्स के लिए मेडिकल इंशोरेंस, प्रीमियम में राहत जैसी कई और मांगे भी है, जिन पर बैंक यूनियन सरकार से एक्शन की डिमांड कर रही है। इससे पहले 11 सितंबर को भी बैंक कर्मियों ने इनी मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल की थी। सरकार से बाचीत भी हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलने की वजह से अब वो तीन दिन की हड़ताल पर जा रहा है।

बैंक कर्मचारियों की जितनी भी मांगे हैं उन में से सबसे बड़ी मांग जिस पर वो टस से मस नहीं होना चाहते वो 5-day वर्किंग है। बैंक कर्मियों के मुताबिक उन पर काम का बहुत जादा बोझ है, जिसके चलते वो ये डिमांड पिछले 10 साल से कर रहे है। बैंक कर्मियों के मुताबिक उनसे सामान्य बैंकिंग ऑपरेशन्स के अलावा भी कई काम कराए जाते सरकार की स्कीम्स लागू करना है। म्युचल फंड्स और इंशोरेंस जैसे प्रोडक्ट को बेचना है। ये भी काम बैंक वाले कर रहे हैं। कर्मचारियों के मुताबिक बैंकों की भर्ती प्रक्रिया बेहद ढीली है। जिसके चलते मैनपावर की कमी हमेशा बनी रहती है। इसी वज़ह से बैंकों में काम करने वाले लोग रोजाना 2-3 घंटे पहले ही ज्यादा काम करते है। बैंक कर्मचारियों के मताबिक एलआईसी जैसे कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स में 5-day working का नियम है यानी पांच दिन काम होता है तो बैंक में क्यों पांच दिन नहीं हो सकता। आप दस तरह के काम बैंक कर्मचारियों से करा रहे हैं, तो बैंक कर्मचारी कह रहे हैं कि हम भी तो इंसान हैं, हमारा भी परिवार है। क्या दिनभर सिर्फ नोट ही गिनते रहे। बैंक यूनियन्स के मुताबिक मार्च 2024 में इंडियन बैंक्स असोसियेशन आईवीए के साथ द्विपक्षीय समझोता हुआ और इसमें सहमती बनी थी। लेकिन इसे लागू करने के लिए अभी तक सरकार की आधिकारिक मंजूरी और अधिसूचना का इंतजार है।

एसबीआई ने कस्टमर्स के लिए एडवाइज़री जारी की है। बैंक ने कहा कि जो जरूरी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें स्ट्राइक की तारीखों से पहले पूरा कर लें। कैश चाहिए तो एटीएम का इस्तेमाल करें। ADWM यानी ऐसी मशीन जहां से कई जगह कैश निकालने के साथ जमा भी किया जा सकता है। बैंक ने कस्टमर सर्विस पॉइंट्स इस्तेमाल करने के लिए भी कहा है और सबसे जरूरी इंटरनेट बैंकिंग, य०, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और दूसरे डिजिटल चैनल्स को प्रेफर करने को कहा है। साथ में यह भी कि स्ट्राइक के दौरान जरूरी बैंकिंग सर्विज चालू रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसे ही कुछ नोटिसेस बैंक ऑफ बौदा, Canरा बैंक, PNB सारे बैंक्स ने निकाले हैं। अगर आपका काम ब्रांच पर डिपेंड करता है बैंक की तो उसे आखिरी दिन के भरोसे मत छोड़िए। इस वक्त यूपीआई बिना किसी दिक्कत के चलेगा। यह स्ट्राइक बैंक कर्मचारियों की है। यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बंद करने का कोई ऐलान नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और बैंक एप्स भी नॉर्मल रहेंगे।

अभियान

ब्रह्मांड की पहली चेतना का दिव्य स्वरूप हैं मां गायत्री, जिनसे प्रकाशित हुआ ज्ञान का संसार

सनातन परंपरा में देवी-देवताओं की उपासना केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक देवी-देवता किसी न किसी विशेष शक्ति, चेतना और जीवन-मूल्य का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हीं दिव्य शक्तियों में मां गायत्री का स्थान अत्यंत विशिष्ट माना गया है। उन्हें ज्ञान, विवेक, चेतना, आध्यात्मिक प्रकाश और सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में स्मरण किया जाता है। गायत्री उपासना की परंपरा इतनी प्राचीन है कि इसका संबंध वैदिक मंत्रों और ऋषि परंपरा से जोड़ा जाता है। मां गायत्री को वेदमाता कहे जाने के पीछे भी यही गहरी आध्यात्मिक मान्यता है कि समस्त वैदिक ज्ञान का मूल प्रकाश उसी परम चेतना से जुड़ा हुआ है।

मां गायत्री के प्राकट्य से जुड़ी कथाएं विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में अलग-अलग रूपों में मिलती हैं। कहीं उन्हें आदिशक्ति की दिव्य अभिव्यक्ति बताया गया है, तो कहीं ब्रह्माजी की सृष्टि-शक्ति के रूप में उनका वर्णन मिलता है। कुछ परंपराओं में गायत्री, सावित्री और सरस्वती को एक ही परम शक्ति के अलग-अलग स्वरूप माना गया है। इन कथाओं में अंतर होने के बावजूद एक बात समान दिखाई देती है कि गायत्री को ज्ञान और चेतना की ऐसी शक्ति माना गया है, जिसके बिना सृष्टि की रचना और उसके संचालन की कल्पना अधूरी है।

पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि के विस्तार का समय आया, तब ब्रह्माजी के सामने सबसे बड़ी आवश्यकता सृजन की शक्ति की थी। केवल संकल्प कर लेने से सृष्टि का विस्तार संभव नहीं था। उस संकल्प को गति देने के लिए दिव्य चेतना और शक्ति की आवश्यकता थी। इसी संदर्भ में गायत्री शक्ति के प्राकट्य की कथा सामने आती है। कहा जाता है कि ब्रह्माजी के संकल्प से वह दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसने सृजन के कार्य को पूर्णता प्रदान करने में सहायता की। इसलिए गायत्री को केवल एक देवी के रूप में नहीं, बल्कि सृष्टि के पीछे कार्य करने वाली दिव्य चेतना के रूप में भी देखा गया।

एक धार्मिक परंपरा में यह भी वर्णित है कि गायत्री देवी का प्राकट्य ब्रह्माजी के शरीर के बाएं भाग से हुआ। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में शरीर के बाएं भाग को शक्ति के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इस दृष्टि से यह कथा यह संकेत देती है कि सृजन और शक्ति एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। जहां सृजन का संकल्प है, वहां उसे पूर्ण करने वाली शक्ति का होना भी आवश्यक है। इसी कारण गायत्री को ब्रह्मा की सृजनात्मक शक्ति से जोड़कर देखा गया।

गायत्री देवी के स्वरूप को समझने के लिए सूर्य से जुड़े उनके संबंध को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक उपासना में सूर्य केवल आकाश में दिखाई देने वाला प्रकाशमान पिंड नहीं है, बल्कि जीवन, ऊर्जा, जागरण और चेतना का प्रतीक माना गया है। गायत्री को सूर्य मंडल के मध्य स्थित दिव्य चेतना के रूप में स्मरण करने की परंपरा इसी भाव से जुड़ी है। सूर्य जिस प्रकार अंधकार को दूर करके संसार को प्रकाश देता है, उसी प्रकार गायत्री शक्ति मनुष्य के भीतर अज्ञान का अंधकार दूर करके विवेक का प्रकाश जगाने वाली मानी जाती है।

गायत्री मंत्र की महिमा भी इसी आध्यात्मिक भावना से जुड़ी हुई है। “ॐ भूर्भुवः स्वः” से आरंभ होने वाला यह वैदिक मंत्र सूर्यस्वरूप परम प्रकाश का ध्यान करते हुए बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करने की प्रार्थना करता है। मंत्र की साधना में केवल किसी देवी का स्मरण ही नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन को शुद्ध करने, विचारों को ऊंचा उठाने और बुद्धि को सत्य तथा धर्म के मार्ग पर लगाने का भाव निहित है। इसी कारण गायत्री उपासना को आत्मिक जागरण की साधना भी माना गया है।

गायत्री देवी से जुड़ी एक लोकप्रिय कथा ब्रह्माजी के यज्ञ से संबंधित है। मान्यता के अनुसार ब्रह्माजी को एक महत्वपूर्ण यज्ञ करना था। यज्ञ की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री निर्धारित समय पर वहां नहीं पहुंच सकीं। यज्ञ के शुभ मुहूर्त को लेकर चिंता उत्पन्न हुई, क्योंकि यज्ञ की पूर्णता के लिए पत्नी का साथ आवश्यक माना जाता था। ऐसे समय में एक दिव्य शक्ति के रूप में गायत्री का प्राकट्य हुआ। कथा के अनुसार ब्रह्माजी ने गायत्री को यज्ञ में अपने साथ स्थान दिया और यज्ञ की प्रक्रिया पूर्ण हुई।

इस कथा के विभिन्न रूप अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में मिलते हैं और इनके विवरणों में भिन्नता भी दिखाई देती है। कहीं गायत्री को स्वतंत्र दिव्य शक्ति माना गया है, तो कहीं सावित्री और गायत्री के बीच गहरा संबंध बताया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से इन कथाओं का उद्देश्य केवल घटनाओं का वर्णन करना नहीं, बल्कि यह समझाना भी है कि किसी भी शुभ और सृजनात्मक कार्य के पीछे ज्ञान, शक्ति और संकल्प का समन्वय आवश्यक होता है।

मां गायत्री को वेदमाता कहे जाने का कारण भी इसी व्यापक आध्यात्मिक अवधारणा से जुड़ा हुआ है। वेद भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें प्रकृति, यज्ञ, जीवन, धर्म, ब्रह्म, आत्मा और परम सत्य से जुड़े अनेक विचारों का वर्णन मिलता है। गायत्री को इन समस्त ज्ञानधाराओं की मूल चेतना का प्रतीक माना गया। इसी कारण धार्मिक परंपरा में उन्हें वेदमाता कहा गया है। मान्यता है कि चारों वेदों का ज्ञान मां गायत्री के दिव्य स्वरूप में समाहित है।

गायत्री का अर्थ केवल एक देवी के नाम तक सीमित नहीं माना जाता। भारतीय चिंतन में गायत्री को ऐसी शक्ति के रूप में देखा गया है, जो मनुष्य की बुद्धि को जागृत करती है। जीवन में ज्ञान होने के बावजूद यदि विवेक न हो तो मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाता। इसी कारण गायत्री साधना में सद्बुद्धि की कामना विशेष महत्व रखती है। प्रार्थना का मूल भाव यह है कि हमारी बुद्धि प्रकाशमान हो, हमारे विचार शुद्ध हों और हमारी चेतना सही दिशा में आगे बढ़े।

गायत्री देवी के पांच मुख और अनेक भुजाओं वाले स्वरूप का भी धार्मिक चित्रण मिलता है। उनके हाथों में कमल, शंख, चक्र, पुस्तक, कमंडलु तथा अन्य दिव्य प्रतीक दिखाए जाते हैं। इन प्रतीकों को ज्ञान, पवित्रता, धर्म, साधना और चेतना से जोड़ा जाता है। कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, इसलिए वह संसार में रहते हुए भी मन की पवित्रता बनाए रखने का संदेश देता है। पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है, जबकि कमंडलु तप और साधना की ओर संकेत करता है। इस प्रकार देवी का स्वरूप अपने भीतर अनेक आध्यात्मिक संदेश समेटे हुए है।

गायत्री उपासना में प्रातःकाल और संध्याकाल को विशेष महत्व दिया जाता है। इन समयों को प्रकृति में परिवर्तन और मन के शांत होने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। साधक सूर्य की ओर ध्यान करके या मन को एकाग्र करके गायत्री मंत्र का जप करता है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान पूरा करना नहीं, बल्कि मन को स्थिर करना और विचारों को सकारात्मक दिशा देना भी माना जाता है। नियमित साधना व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण की ओर ले जा सकती है और उसे अपने विचारों तथा कर्मों के प्रति अधिक सजग बना सकती है।

सनातन परंपरा में गायत्री को देवताओं की देवी कहे जाने की मान्यता भी इसी व्यापक अर्थ में समझी जा सकती है। वह केवल किसी एक वर्ग या व्यक्ति की आराध्या नहीं, बल्कि ज्ञान और चेतना की सार्वभौमिक शक्ति का प्रतीक हैं। ऋषियों ने जिस प्रकाश को अपने भीतर अनुभव किया, उसे मंत्रों और साधना के माध्यम से आगे बढ़ाया। गायत्री उसी ज्ञानपरंपरा की स्मृति को जीवित रखने वाली शक्ति के रूप में पूजित होती हैं।

मां गायत्री की कथा हमें यह संदेश भी देती है कि सृष्टि का वास्तविक विकास केवल बाहरी शक्ति से नहीं होता। किसी भी निर्माण के पीछे संकल्प, ज्ञान, विवेक और ऊर्जा का संतुलन आवश्यक है। ब्रह्माजी सृजन के प्रतीक हैं और गायत्री उस सृजन को दिशा देने वाली चेतना का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए गायत्री की आराधना मनुष्य को अपने भीतर छिपे अज्ञान को दूर करने और विवेक का प्रकाश जगाने की प्रेरणा देती है।

आज के समय में भी गायत्री उपासना का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। भागदौड़, तनाव और अनेक प्रकार के मानसिक द्वंद्वों के बीच मनुष्य को अपने भीतर शांति और स्पष्टता की आवश्यकता होती है। गायत्री मंत्र का नियमित स्मरण मन को एकाग्र करने और आध्यात्मिक चिंतन की दिशा में ले जाने वाली परंपरा के रूप में देखा जाता है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने डॉ. बाबासाहब आंबेडकर राष्ट्रीय फाउंडेशन का लोकार्पण किया

11.01 करोड़ रुपए के खर्च से निर्मित म्यूजियम तथा ई-लाइब्रेरी में भित्ति चित्र, वर्चुअल सुविधा और लाइट एंड साउंड शो से डॉ. बाबासाहब के पंचतीर्थ के दर्शन और जीवन-संघर्ष को जीवंत किया गया

गांधीनगर : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने अहमदाबाद के राणिप में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर राष्ट्रीय फाउंडेशन का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने राणीप स्थित डॉ. बाबासाहब आंबेडकर राष्ट्रीय फाउंडेशन का दौरा कर बाबासाहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य सरकार डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के विचारों और विरासत को सही मायने में चरितार्थ कर रही है। केवल एक सप्ताह में 150 किलोमीटर के दायरे में वडोदरा स्थित संकल्प भूमि और राणिप (अहमदाबाद) में आधुनिक म्यूजियम जैसे श्रेष्ठ प्रकल्पों का लोकार्पण करके सरकार ने सामाजिक समरसता और समानता के प्रति अपनी कटिबद्धता दर्शायी है। आने वाली पीढ़ी के युवा डॉ. बाबासाहब के जीवन से प्रेरणा ले सकें, इस उद्देश्य से राज्यभर में विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर छह लाख रुपए करना तथा संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर समाज उत्थान, भवनों, शैक्षणिक परिसरों और संस्कृति संवर्धन के लिए 231 करोड़ रुपए की भारी राशि मंजूर करना, सरकार की सामाजिक समरसता के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से एकजुट होकर डॉ. बाबासाहब के सिद्धांतों के साथ समाज की कतार में खड़े अंतिम युवाओं को मुख्यधारा में शामिल करने और राष्ट्रनिर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने इस मौके पर कहा कि राणिप में 11 करोड़ रुपए के खर्च से निर्मित डॉ. बाबासाहब आंबेडकर राष्ट्रीय फाउंडेशन, म्यूजियम और ई-लाइब्रेरी का लोकार्पण केवल एक इमारत का लोकार्पण नहीं है, बल्कि यह समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों को अधिक मजबूत करने का पवित्र अवसर है। 23 सितंबर के ऐतिहासिक संकल्प दिवस पर यह सुविधा राष्ट्र को समर्पित की जा रही है, जो इतिहास में अमर हो जाएगी।

मंत्री श्री वाजा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में,

राज्य सरकार सामाजिक समरसता और वंचितों के उत्थान के लिए लगातार संवेदनशील रहते हुए कार्य कर रही है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करना तथा संस्थाओं, आवास और संस्कृति संवर्धन के लिए 231 करोड़ रुपए से अधिक का विशेष पैकेज मंजूर करना सरकार की समाज के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने उपस्थित सभी से डॉ. बाबासाहब के विचारों को जीवन में उतारकर देश के विकास और समरसता में योगदान देने का आह्वान किया।

शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला ने कहा कि राणिप में 11 करोड़ रुपए से बना यह भव्य फाउंडेशन, आधुनिक लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम संकुल समाज के युवाओं की शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि डॉ. बाबासाहब आंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण ही महिलाओं को समान अधिकार और प्रतिनिधित्व मिला है। राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा बढ़ाने के साथ-साथ दलित उत्थान, आवास योजनाओं, संस्कृति संवर्धन और सामाजिक समरसता की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बाबासाहब के विचारों को सच्चे अर्थ में चरितार्थ किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पहला प्रधानमंत्री बताया, जिन्होंने देश को संविधान के अनुसार चलाने का वचन दिया था। मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने इसी संग्रहालय का भूमिपूजन किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान को सार्थक कर बताया है।

श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने ही सच्ची समरसता स्थापित करने का कार्य किया है। समरसता स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जब कभी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष दलित समाज के मुद्दे को लेकर जाते है, तो उसे हमेशा मान्य रखा जाता है।

अहमदाबाद के महापौर श्री हितेशभाई बारोट ने कहा कि डॉ. बाबासाहब आंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान और आरक्षण के प्रावधानों के कारण ही सभी समाज के लोगों को प्रगति, समानता और नेतृत्व करने का अवसर मिला है। उन्होंने बाबासाहब के नारे- 'शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो' को चरितार्थ करने पर बल दिया।

साबरमती के विधायक श्री हर्षदभाई पटेल ने इस म्यूजियम और ई-लाइब्रेरी को डॉ. बाबासाहब के जीवन, संघर्ष और विचारों का जीवंत केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल और थ्रीडी टेक्नोलॉजी से सुसज्जित यह परिसर नई पीढ़ी को डॉ. बाबासाहब की शिक्षा, संविधान निर्माण और सामाजिक क्रांति के संदेश को आसानी से समझने में सहायक होगा।

उन्होंने खुशी व्यक्त की कि इस म्यूजियम से राणिप क्षेत्र को विशेष पहचान मिल रही है। पूर्व सांसद श्री किरीट सोलंकी ने 23 सितंबर, 1917 को डॉ. बाबासाहब आंबेडकर द्वारा वडोदरा में लिए गए संकल्प के ऐतिहासिक दिन के अवसर पर ही राणिप में फाउंडेशन का लोकार्पण करने के लिए राज्य सरकार को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डॉ. बाबासाहब और संविधान को दिए गए सर्वोच्च सम्मान की सराहना की। उन्होंने वडोदरा में हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से लोकार्पित संकल्प भूमि मेमोरियल को देश का सर्वश्रेष्ठ मेमोरियल बताया।

कार्यक्रम में डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय फाउंडेशन पर ऑडियो विजुअलल प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा, इस अवसर पर सफाई कामदार निगम की प्रोत्साहक सहायता योजना के तहत राज्य में अव्वल आने वाले सफाई कामगारों के बच्चों को प्रोत्साहक सहायता का वितरण किया गया। साथ ही, नरसिंह भगत छात्रालय, अहमदाबाद में रहकर सहायक प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति पाने वाले दिव्यांग विद्यार्थी श्री विजय कानजीभाई परमार का भी विशेष सम्मान किया गया।

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर राष्ट्रीय फाउंडेशन के लोकार्पण अवसर पर पद्मश्री हेमंत चौहाण, अहमदाबाद पश्चिम के सांसद श्री दिनेश मकवाणा, पूर्व मंत्री, अहमदाबाद के विधायक, पूर्व सांसद और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव श्री हर्षद पटेल, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के निदेशक श्री रचित राज, उप महापौर श्रीमती अंजूबेन शाह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, अहमदाबाद मनपा के पार्षदगण, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 11.01 करोड़ रुपए के खर्च से तैयार किए गए इस म्यूजियम में बाबासाहब के जीवन-संघर्ष, भित्तीचित्र (म्यूरल), भाषणों का वर्चुअल अनुभव, प्रदर्शनी, लाइट एंड साउंड तथा डिजिटल-थ्रीडी-हाईपर-रियलिटी प्रदर्शनी आगंतुकों के लिए मुख्य आकर्षण होगी। इस म्यूजियम के जरिए डॉ. बाबासाहब के साथ जुड़े पंचतीर्थ के प्रसंग और सामाजिक न्याय का संदेश नई पीढ़ी तक पहुंचेगा। आधुनिक म्यूजियम के साथ ई-लाइब्रेरी का विधिवत लोकार्पण किया गया।

'सेवा, संकल्प एवं समर्पण अभियान' अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नवनिर्मित वाडज फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया

अनुमानित 127.92 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित फोर-लेन ब्रिज से शहरवासियों के समय तथा ईंधन की बचत के साथ सुगम एवं तेज यातायात की सुविधा प्राप्त होगी

गांधीनगर : राज्यभर में मनाए जा रहे 'सेवा, संकल्प एवं समर्पण अभियान' अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अहमदाबाद में वाडज जंक्शन पर फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण अवसर पर शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला उपस्थित रहीं।

अहमदाबाद महानगर पालिका के ब्रिज प्रोजेक्ट विभाग द्वारा पश्चिम जोन में अनुमानित 127.92 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए और लोकार्पित फोर-लेन (2×2) फ्लाईओवर ब्रिज से वाडज जंक्शन पर यातायात का भार कम होगा और नागरिकों के समय तथा ईंधन की बचत होगी। इस ब्रिज के निर्माण से वाहन चालकों को सुगम एवं तेज यातायात की सुविधा प्राप्त होगी।

उल्लेखनीय है कि; 'सेवा, संकल्प एवं समर्पण अभियान' अंतर्गत अहमदाबाद महानगर पालिका द्वारा शहर के नागरिकों की सुख-सुविधा के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, आवास, स्वच्छता, मानव संसाधन सहित विभिन्न नागरिकोन्मुखी सुविधाओं को नई गति देने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न जनहितोन्मुखी एवं जनभागीदारी कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से इन विकास कार्यों का सीधा लाभ अहमदाबाद के नागरिकों को शीघ्र मिले; इसके लिए आयोजन किया गया है।

वाडज में फोर-लेन फ्लाईओवर ब्रिज के लोकार्पण अवसर पर शहर के महापौर श्री हितेशभाई बारोट, विधायक सर्वश्री जितेंद्रभाई पटेल, हर्षदभाई पटेल, कौशिकभाई जैन, उप महापौर श्रीमती अंजुबेन शाह, शहर अध्यक्ष श्री प्रेरकभाई शाह, महानगर पालिका आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री कमलेशभाई पटेल,अहमदाबाद महानगर पालिका के पदाधिकारी व स्थानीय पार्षद आदि उपस्थित रहे।

भावनगर मंडल में यात्रियों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नियमित जांच, 'स्वच्छता ही सेवा–2026' के तहत पेयजल स्त्रोतों की सघन निगरानी

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा 'स्वच्छता ही सेवा–2026' अभियान के अंतर्गत यात्रियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्टेशनों पर पेयजल स्त्रोतों की नियमित एवं वैज्ञानिक जांच की जा रही है। प्रमुख स्टेशनों के साथ-साथ छोटे एवं वे-साइड स्टेशनों पर स्थित वाटर कूलर, वाटर बूथ एवं वाटर हट आदि से जल के नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है।

हाल ही में भावनगर मंडल में पेयजल निगरानी के दौरान 13 (10%) नमूनों में अवशिष्ट क्लोरीन (Residual Chlorine) NIL पाया गया था। इन सभी स्थानों पर पुनः जांच की गई, जिसमें 0.2 से 0.5 ppm तक अवशिष्ट क्लोरीन पाया गया। साथ ही, इन स्थानों से लिए गए जल नमूनों का बैक्टीरियोलॉजिकल

परीक्षण भी कराया गया, जिसमें नमूने FIT पाए गए।

पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए Free Residual Chlorine की नियमित जांच, बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण तथा निर्धारित मानकों के अनुसार रासायनिक परीक्षण किए जाते हैं। पूर्व में NIL पाए गए स्थानों पर विशेष निगरानी रखते हुए नियमित आवधिक मॉनिटरिंग जारी रखी जाएगी, ताकि यात्रियों को लगातार सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यात्रियों के स्वास्थ्य एवं सुविधा को प्राथमिकता देते हुए पेयजल स्रोतों की नियमित जांच की जा रही है तथा किसी भी कमी की स्थिति में तत्काल पुनः परीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा कि यात्रियों के लिए स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल एवं स्वास्थ्य सुरक्षा रेलवे की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं। 'स्वच्छता ही सेवा–2026' के दौरान पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नगर पालिका की स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा 'सेवा संकल्प समर्पण' अभियान अंतर्गत बनाए गए चित्रों को निहारकर बच्चों को प्रोत्साहित किया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरूवार को अहमदाबाद नगर पालिका की स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा 'सेवा संकल्प समर्पण' अभियान अंतर्गत चित्र प्रतियोगिता में बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न थीम पर रचनात्मक चित्र बनाने वाले बच्चों के साथ संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित किया।

मुख्यमंत्री ने घुमा की एम.के. पटेल प्राथमिक शाला में बच्चों के चित्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन करने से पहले 'सेवा संकल्प समर्पण' अभियान अंतर्गत घुमा गाँव तालाब के पास स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया। स्वच्छता अभियान में मुख्यमंत्री के साथ अहमदाबाद

शहर के महापौर श्री हितेश बारोट, उप महापौर श्रीमती अंजुबेन शाह तथा महानगर पालिका आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि सहित महानुभाव सहभागी हुए।

स्वच्छता अभियान के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने स्वच्छता कर्मियों के साथ संवाद किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के बाद घुमा तालाब के किनारे स्थित खोडियार माताजी के मंदिर में भक्तिभावपूर्वक दर्शन किए ।

भावनगर मंडल कार्यालय में विभागवार राजभाषा हिंदी प्रदर्शनी का सफल आयोजन

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा माह-2026 का आयोजन उत्साहपूर्वक किया जा रहा है। इसी क्रम में 24 सितंबर 2026 को भावनगर मंडल कार्यालय स्थित रेलवे कम्युनिटी हॉल में विभागवार राजभाषा हिंदी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

प्रदर्शनी का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के कर-कमलों से अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस विभागवार प्रदर्शनी में भावनगर मंडल के कुल 13 विभागों ने भाग लिया। विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा हिंदी में किए जा रहे कार्यों, हिंदी के प्रयोग एवं राजभाषा संबंधी गतिविधियों को आकर्षक एवं व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दैनिक शासकीय कार्यों में हिंदी के प्रभावी उपयोग को भी दर्शाया गया।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे तथा उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी के माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा दैनिक कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ।

भावनगर मंडल में 01 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक राजभाषा माह-2026 के अंतर्गत विभिन्न राजभाषा संबंधी कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन गतिविधियों का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना तथा राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के कुशल मार्गदर्शन एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा के नेतृत्व में राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा माह-2026 के कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। राजभाषा अधिकारी श्री रामप्रीत मौर्य एवं मंडल बिजली इंजीनियर के अधीन राजभाषा टीम द्वारा इन कार्यक्रमों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। भावनगर मंडल द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार, प्रयोग एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

खाकी के स्वर्णिम इतिहास के शिल्पियों के लिए पुलिस भवन में 'सल्यूट अवर मेंटर्स' सम्मान समारोह आयोजित हुआ

राज्य पुलिस महानिदेशक श्री ज्ञानेंद्रसिंह मलिक ने 'वी सल्यूट अवर मेंटर्स' कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति ऋण स्वीकार किया : प्रोबेशन अवधि के अनुभवों को सफलता का आधार बताया

गांधीनगर : गुजरात पुलिस ने अपनी परंपरा को बनाए रखते हुए गांधीनगर स्थित पुलिस भवन में 'सल्यूट अवर मेंटर्स' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री विकास सहाय द्वारा दो वर्ष पहले शुरू की गई इस अनूठी पहल अंतर्गत अपने कर्मयोग से गुजरात पुलिस के स्वर्णिम इतिहास की नींव की ईंटें रखने वाले और खाकी वर्दी की गरिमा को वैश्विक स्तर पर उज्ज्वल बनाने वाले सेवानिवृत्त डीजीपी और एडीजीपी रैंक के अधिकारियों का गौरवपूर्वक सम्मान किया गया।

जिन पुलिस अधिकारियों ने अपना संपूर्ण जीवन गुजरात पुलिस सेवा में समर्पित कर गुजरात पुलिस का स्वर्णिम इतिहास गढ़ा है तथा अनेक नवीन परिवर्तन लाकर गुजरात पुलिस के गौरव में वृद्धि की है; ऐसे सेवानिवृत्त डीजीपी और एडीजीपी सहित रैंक के पुलिस अधिकारियों को एक मंच पर एकत्रित कर सभी अधिकारियों का बुधवार को आदरपूर्वक सम्मान किया गया ।इस सम्मान समारोह में डीजीपी और एडीजीपी जैसे उच्च पद से सेवानिवृत्त हुए 30 से अधिक अधिकारी एवं उनके परिवार उपस्थित रहे।

गांधीनगर पुलिस भवन में आयोजित 'वी सल्यूट अवर मेंटर्स' (We Salute Our Mentors) कार्यक्रम में गुरु समान सभी सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री ज्ञानेंद्रसिंह मलिक ने कहा कि वरिष्ठ मार्गदर्शकों को नमन और उनके सम्मान के उद्देश्य से इस अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत श्री विकास सहाय द्वारा की गई थी। किसी भी पुलिस अधिकारी के संपूर्ण करियर में प्रोबेशन और प्रशिक्षण की अवधि आधारभूत होती है; उस समय मेंटर्स से मिली सीख और संस्कार ही अधिकारी की आगे की सभी सफलताओं का प्रेरक बल बनते हैं।

साबरकाँठा के हिम्मतनगर में अपनी प्रोबेशन अवधि का उल्लेख करते हुए श्री मलिक ने वरिष्ठ अधिकारी श्री प्रियदर्शी और श्री पी. बी. गोंडिया के योगदान की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि फील्ड प्रशिक्षण के दौरान नियमित रूप से अंग्रेजी में साप्ताहिक डायरी लिखने का आग्रह, रात्रि राउंड, अनुपस्थित कर्मचारियों के स्वयं बयान लेना तथा लोक शिकायतों का संवेदनशीलता से निवारण करने जैसी पद्धतियां उन्हें इन मेंटर्स से सीखने मिली थीं।

इसके अलावा; जूनागढ में ट्यूनिक यूनिफॉर्म और तत्कालीन आईजी श्री गुरदयाल सिंह की इंस्पेक्शन परेड से अनुशासन और लाइन जाँच का महत्व समझ में आया था, जबकि प्रांतीज में एएसपी के रूप में पुलिस स्टेशन संचालन और पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव प्रबंधन का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मिला था ।उन्होंने बाद में पोरबंदर में श्री प्रियदर्शी सर के निरीक्षण के दौरान त्रुटिरहित परेड देकर उनकी प्रशंसा प्राप्त करने की याद भी ताजा की।

अपने संबोधन के अंत में श्री मलिक ने पूर्व पुलिस आयुक्त श्री संजय श्रीवास्तव सहित उपस्थित सभी वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि करियर के प्रारंभ में आदरणीय मार्गदर्शकों से प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान, कार्यपद्धति और अनुशासन आज करियर के अंतिम चरण में भी उतने ही मार्गदर्शक और उपयोगी साबित हो रहे हैं। गुजरात पुलिस हमेशा अपने मेंटर्स के अमूल्य मार्गदर्शन और विरासत की ऋणी रहेगी।

इस समारोह में अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त श्री अनुपमसिंह गहलोत ने कहा कि पुलिस के सर्विस रिकॉर्ड में पोस्टिंग और प्रमोशन जैसी बातें दर्ज होती हैं, लेकिन वे रात में देर से घर पहुँचते हैं, बच्चों के जागने से पहले फिर से ड्यूटी पर पहुँच जाते हैं, त्योहारों में सड़क पर खड़े रहकर जनता की सुरक्षा करते हैं या सामाजिक कार्यक्रम छोड़ने पड़ते हैं; यह त्याग और संघर्ष कभी रिकॉर्ड में नहीं लिखा जाता ।उन्होंने विशेष सराहना की कि ऐसे में पुलिस अधिकारियों के लगातार होने वाले तबादलों और चुनौतियों के बीच उनके परिवारजनों और पत्नी ने जो साथ दिया, घर संभाला और त्याग किया।

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस व्यवस्था कानून-नियम या प्रक्रियाओं के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव, परंपरा और अनुशासन के माध्यम से चलती है। साथ ही; उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न संकटों, कानून-व्यवस्था या बंदोबस्त के दौरान जो निर्णय लिए और सीख दी, वे अनुभव आज भी नई पीढ़ी के अधिकारियों के साथ साझा किए जाते हैं और संपूर्ण गुजरात पुलिस हमेशा अपने मेंटर्स की ऋणी रहेगी।

सेवानिवृत्त डीजीपी श्री पी. सी. पांडे, श्री एस. एस. खांडवावाला, श्री सतीश शर्मा, श्री मीरा रामनिवास, सेवानिवृत्त एडीजीपी श्री आर. पी. प्रियदर्शी, श्री विजय सिंह गुमान, श्री जे. एस. बिंद्रा सहित सेवानिवृत्त अधिकारियों ने इस प्रकार के विशेष कार्यक्रम के आयोजन की सराहना की और अपने अनुभव व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का आयोजन शायद एकमात्र गुजरात राज्य में ही होता होगा और यह वास्तव में प्रशंसनीय है।

इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त उच्च पुलिस अधिकारियों श्री पी. सी. पांडे, श्री एस. एस. खंडावाला, श्री प्रमोद कुमार, श्री आशीष भाटिया, श्री शिवानंद झा एवं श्री विकास सहाय सहित कई सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के अलावा वर्तमान में कार्यरत उच्च पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

दुबई से हैदराबाद पहुंचते ही महादेव सट्टेबाजी मामले का वांछित आरोपी गिरफ्तार, सीबीआई ने दबोचा

नई दिल्ली। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक और वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने अभिषेक कुमार को दुबई से भारत लौटने के बाद हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से हिरासत में लिया। सीबीआई के अनुसार, आरोपी लंबे समय से जांच के दायरे में था और महादेव बुक से जुड़े कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है। एजेंसी अब उससे सट्टेबाजी पैनलों के संचालन, रकम की वसूली और विदेश में कथित तौर पर बनाई गई संपत्तियों से जुड़े मामलों में पूछताछ कर रही है।

सीबीआई के मुताबिक, अभिषेक कुमार महादेव बुक से जुड़े विभिन्न सट्टेबाजी पैनलों के संचालन में कथित तौर पर शामिल था। जांच एजेंसी का आरोप है कि वह इन पैनलों के माध्यम से होने वाली सट्टेबाजी से जुटाई गई रकम की वसूली और संबंधित वित्तीय गतिविधियों में भी भूमिका निभाता था। जांच में यह भी आरोप सामने आया है कि सट्टेबाजी से हासिल की गई रकम का इस्तेमाल दुबई में अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया।

जांच एजेंसी को आरोपी के भारत लौटने की जानकारी मिलने के बाद उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। दुबई से हैदराबाद पहुंचने पर सीबीआई अधिकारियों ने उसे राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर हिरासत में लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एजेंसी ने आरोपी से जुड़े संभावित ठिकानों पर भी तलाशी अभियान चलाया।

सीबीआई के अनुसार, तलाशी के दौरान जांच से संबंधित सामग्री बरामद होने की बात सामने आई है। एजेंसी अब बरामद दस्तावेजों और अन्य सामग्री की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी की कथित भूमिका महादेव बुक के नेटवर्क में किस स्तर तक थी और सट्टेबाजी से प्राप्त धन को किस तरह संचालित किया जाता था। जांचकर्ताओं की नजर विशेष रूप से धन के लेन-देन और विदेशों में संपत्तियों की खरीद से जुड़े रिकॉर्ड पर है।

महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले की जांच में एजेंसियां लंबे समय से कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क, उससे जुड़े पैनलों और धन के प्रवाह की पड़ताल कर रही हैं। जांच के दौरान यह आरोप सामने आया है कि अलग-अलग स्थानों से ऑनलाइन सट्टेबाजी के पैनल संचालित किए जाते थे और इनसे प्राप्त रकम को विभिन्न माध्यमों से इधर-उधर किया जाता था। अभिषेक कुमार की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी अब इस कथित नेटवर्क में उसकी भूमिका और अन्य आरोपियों के साथ उसके संबंधों की भी पड़ताल कर सकती है।

सीबीआई के लिए आरोपी से पूछताछ का एक महत्वपूर्ण पहलू सट्टेबाजी पैनलों से होने वाली कथित वसूली का तंत्र होगा। एजेंसी यह जानने का प्रयास कर सकती है कि पैनल किसके निर्देश पर संचालित होते थे, उनसे प्राप्त रकम किसके पास पहुंचती थी और उसे आगे किन माध्यमों से स्थानांतरित किया जाता था। इसके साथ ही दुबई में संपत्तियां खरीदने के आरोप से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में हैं।

जांच एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने कथित तौर पर सट्टेबाजी से अर्जित धन को विदेश में संपत्तियों में लगाने के लिए किन वित्तीय माध्यमों का इस्तेमाल किया। इसके लिए बैंक खातों, संपत्ति खरीद से जुड़े दस्तावेजों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जा सकती है। यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की भूमिका सामने आती है तो एजेंसी उस दिशा में भी कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है।

अभिषेक कुमार की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में जांच एजेंसियां कथित नेटवर्क से जुड़े आरोपियों और वित्तीय लेन-देन की लगातार पड़ताल कर रही हैं। विदेश में रहने वाले संदिग्धों और आरोपियों को भारत वापस लाना जांच एजेंसियों के लिए इस मामले की कार्रवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। दुबई से भारत लौटते ही अभिषेक कुमार की गिरफ्तारी इसी कड़ी में हुई है।

फिलहाल सीबीआई आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके खिलाफ उपलब्ध दस्तावेजों तथा तलाशी के दौरान मिली सामग्री की जांच की जा रही है। आरोपी पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान साक्ष्यों के आधार पर होगी। गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी कथित सट्टेबाजी नेटवर्क, रकम की वसूली और दुबई में संपत्ति खरीद से जुड़े पूरे वित्तीय तंत्र को समझने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

पश्चिम रेलवे-अहमदाबाद मण्डल

ट्रैक मशीनों की मरम्मत

ई-निविदा सूचना संख्या: 04 2026-27 दिनांक 23.09.2026; कार्य का नाम: CPOH/ADI में 120 ट्रैक मशीनों के POH से संबंधित मरम्मत कार्य, 03 वर्षों के लिए; **निविदा संख्या:** CWMCPOHADI2026-27-3A; **स्थान:** CPOH / ADI; **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 03 वर्ष; **प्री-बिड बैठक की तिथि एवं स्थान:** 07/10/2026 को 12:00 बजे, CWM (CPOH) ADI ट्रैक मशीन कार्यालय, पश्चिम रेलवे, वटवा, अहमदाबाद – 382440; **विज्ञापित एनआईटी लागत:** ₹ 1,15,17,40,814.70/-; **ईएमडी राशि:** ₹ 2,30,34,800.00/-; **निविदा बंद होने की तिथि:** 28/10/2026 को 15:00 बजे; **निविदा खोलने की तिथि:** 28/10/2026 को 15:15 बजे; **आईआरईपीएस पर निविदा अपलोड करने की तिथि:** 23.09.2026;

ADI – 169

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद को 584 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विकास की राजनीति के केंद्र में सदैव आम आदमी रहा है
- वित्तीय प्रबंधन में गुजरात पूरे देश में अव्वल
- राज्य सरकार के विभागों में सभी महत्वपूर्ण पदों पर समय पर नियुक्तियां सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार कार्यरत है
- नवनियुक्त कर्मचारी ईमानदारी, स्वच्छता के प्रति जागरूकता और टेक्नोलॉजी के उत्तम उपयोग के साथ जनसेवा का संकल्प लें

नवनिर्मित आवासों के लिए ड्रॉ निकाला गया तथा 450 से अधिक नवनियुक्त सहायक तकनीकी पर्यवेक्षक एवं 50 कनिष्ठ लिपिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए

मुख्यमंत्री ने 279.80 करोड़ रुपए के 6 कार्यों का लोकार्पण और 304.05 करोड़ रुपए के 6 कार्यो का भूमिपूजन किया

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जनसेवा, सुशासन और समर्पण के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित 'सेवा, संकल्प और समर्पण अभियान' के तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को अहमदाबाद महानगर को 279.80 करोड़ रुपए के 6 कार्यों के लोकार्पण और 304.05 करोड़ रुपए के 6 कार्यों के भूमिपूजन के साथ कुल 583.85 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में नवनिर्मित आवासों के लिए ड्रॉ निकाला गया और 450 से अधिक नवनियुक्त सहायक तकनीकी पर्यवेक्षकों और 50 कनिष्ठ लिपिकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रसेवा, जनकल्याण और समर्पण के 25 वर्ष आगामी 7 अक्टूबर को पूरे होने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत देशभर में 'सेवा, संकल्प और समर्पण अभियान' मनाया जा रहा है। श्री पटेल ने कहा कि इन वर्षों के दौरान उनके द्वारा स्थापित विकास की राजनीति के केंद्र में सदैव आम आदमी ही रहा है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार के मुखिया के तौर पर लगातार जनसेवा में कार्यरत रहने का अनोखा रिकॉर्ड स्थापित किया है।

गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद में कांकरिया तालाब का कायाकल्प और विश्वस्तरीय साबरमती रिवरफ्रंट उनके विजन का प्रतीक हैं। इसके लिए वहां रहने वाले झुग्गीवासियों को दूसरी जगहों पर पक्के मकान देने का निर्णय उनकी मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति को दिखाता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता अभियान आज एक जनआंदोलन बन गया है। इसी प्रकार, आयुष्मान योजना से सामान्य परिवारों को भी महंगे उपचार के आर्थिक बोझ और बीमारी के उपचार के बड़े खर्च से मुक्ति मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का 'विकसित गुजरात से विकसि भारत' का स्वप्न साकार करने के लिए गुजरात एक ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। इसके पीछे श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व रहा है। उन्होंने आगे कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय प्रबंधन के मामले में गुजरात देशभर में शीर्ष स्थान पर है।

उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में सभी महत्वपूर्ण पदों पर समय पर नियुक्तियां सुनिश्चित करने के लिए सरकार निरंतर कार्यरत है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद महानगर पालिका के इतिहास में सर्वाधिक 450 से अधिक कर्मचारियों को एक ही दिन में नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को ईमानदारी की राह पर चलने की सीख दी। साथ ही, उन्होंने स्वच्छता के प्रति जागरूकता और टेक्नोलॉजी के उत्तम उपयोग से जनता की सेवा के संकल्प के साथ पूरी निष्ठा और गुणवत्तापूर्ण काम करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रधानमंत्री के 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने का अनुरोध किया।

अहमदाबाद के महापौर श्री हितेशभाई बारोट ने सभी का स्वागत किया और आज के दिन को अहमदाबाद मनपा के लिए आनंद और गौरव का दिन बताया।

उन्होंने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को अहमदाबाद शहर की सेवा के यज्ञ में जुड़ने के लिए बधाई दी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार और महानगर पालिका की पारदर्शी नीतियों के परिणामस्वरूप सभी को उनकी मेहननत का उचित फल मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सक्षम नेतृत्व में अहमदाबाद शहर को विकास के अनेक लाभ मिले हैं। उन्होंने शहर के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

'सेवा, संकल्प और समर्पण अभियान' के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास, स्वच्छता, मानव संसाधन और नागरिक-उन्मुख सुविधाओं से जुड़े कार्यों को और तेज गति देने का प्रयास किया जा रहा है। इन विकास-उन्मुख कार्यों का सीधा लाभ अहमदाबाद शहर के नागरिकों को मिले, इस दिशा में अहमदाबाद मनपा लगातार कार्यरत है।

कार्यक्रम में शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, सांसद श्री हसमुखभाई पटेल और दिनेशभाई मकवाणा, विधायक सर्वश्री जीतूभाई पटेल, हर्षदभाई पटेल, बाबूभाई पटेल, कौशिकभाई जैन, अमितभाई ठाकर, डॉ. हसमुखभाई पटेल और अमूलभाई भट्ट, दिनेश सिंह कुशवाह, मनपा आयुक्त श्री बंछानिधि पानी, शहर अध्यक्ष प्रेरकभाई शाह तथा अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में नवनियुक्त कर्मचारी एवं उनके परिवारजन मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में इन विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया :

लोकार्पण

279.80 करोड़ रुपए के खर्च से विभिन्न इलाकों में 6 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण

1. वाड़ज जंक्शन – फोरलेन फ्लाईओवर ब्रिज

अहमदाबाद महानगर पालिका (एएमसी) के पश्चिम जोन के वाड़ज जंक्शन पर एएमसी के ब्रिज प्रोजेक्ट विभाग द्वारा 127.92 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार किए गए फोरलेन (×) फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण

2. वेजलपुर – फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज

दक्षिण पश्चिम जोन में लेवल क्रॉसिंग-एलसी-24 अहमदाबाद-बोटाद रेलवे लाइन पर लगभग 98.60 करोड़ रुपए के खर्च से तैयार फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण।

3. थलतेज – 329 ईडब्ल्यूएस आवास

टीपी-39 थलतेज, फाइनल प्लॉट नं. 59 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1190 ईडब्ल्यूएस आवासों में से लगभग 22.24 करोड़ रुपए के खर्च से तैयार 329 ईडब्ल्यूएस आवासों का लोकार्पण

4. अहमदाबाद – 15 फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल

अहमदाबाद के फायर स्टेशनों के लिए लगभग 19.74 करोड़ रुपए के खर्च से तैयार 15 फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल (एफआरवी) की खरीदी कर जनोन्मुखी कार्यों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराने का कार्य।

5. अहमदाबाद – 10 बोट विद इंजन

फायर स्टेशनों के लिए 3.40 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च से बनी 10 बोट विद इंजन की खरीदी कर उन्हें इमरजेंसी कार्यों के लिए उपयोग में लेने की व्यवस्था।

6. शाहीबाग – 108 आवास और 46 दुकानों का पुनर्वास

टीपी स्कीम नं. 14 (शाहीबाग), फाइनल प्लॉट नं. 157 में 'पखाजीनो कुवो' नाम से घोषित झोपड़पट्टियों के मौजूदा स्थान पर लगभग 7.90 करोड़ रुपए के खर्च से तैयार किए गए 108 आवासों और 46 दुकानों का पुनर्वास।

भूमिपूजन

304.05 करोड़ रुपए के खर्च से विभिन्न क्षेत्रों में 6 कार्यों का भूमिपूजन

1. रामापीर टेकरा – रोड नेटवर्क

पश्चिम जोन के स्टेडियम वार्ड में रामापीर टेकरा एलएपी क्षेत्र में 72.78 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रोड नेटवर्क विकसित करने का कार्य।

2. अमराईवाड़ी – 1800 मिमी ड्रेनेज लाइन का रिहैबिलिटेशन

दक्षिण जोन में नागरवेल हनुमान मंदिर से गुरुजी ब्रिज तक 1800 मिमी व्यास की मौजूदा ड्रेनेज लाइन का लगभग 65.51 करोड़ रुपए के खर्च से रिहैबिलिटेशन करने का काम।

3. वटवा – नया ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन और राइजिंग लाइन

नवाणा में 61.81 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नया ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन और राइजिंग लाइन बिछाने का काम।

4. निकोल – एएमटीएस/बीआरटीएस बस चार्जिंग स्टेशन और पार्किंग

पूर्व जोन के टीपी-110 (निकोल-कठवाड़ा), फाइनल प्लॉट नं. 95+96 में लगभग 61.89 करोड़ रुपए के खर्च से अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस (एएमटीएस) और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) ई-बसों के चार्जिंग स्टेशन और पार्किंग के लिए भूखंड विकसित करने का काम।

5. त्रागड़ – बस डिपो/टर्मिनस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर

उत्तर पश्चिम जोन में द्वारकेश ऑप्युलेंस फ्लैट के सामने, नोबो रेस्टोरेन्ट, एसपी रिंग रोड के सामने स्थित 19,896 वर्गमीटर के प्लॉट में बसों के पार्किंग तथा चार्जिंग स्टेशन के लिए लगभग 28.08 करोड़ रुपए के खर्च से डिपो/टर्मिनस बनाने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का काम।

6. साबरमती नदी का पूर्वी तट – टूरिज्म टेम्पल सर्किट

एएमसी हेरिटेज विभाग द्वारा साबरमती नदी के पूर्वी तट पर सप्तऋषि आश्रम से जगन्नाथ मंदिर होते हुए अटल घाट के मार्ग को 13.98 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से टूरिज्म टेम्पल सर्किट के रूप में विकसित करने का काम।

पश्चिम रेलवे का वसई रोड एवं भायंदर ,स्टेशनों के बीच रात्रिकालीन ब्लॉक

पश्चिम रेलवे द्वारा रेलपथ, सिगनलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव हेतु शनिवार/रविवार अर्थात 26/27 सितम्बर, 2026 की मध्यरात्रि को उपनगरीय खंड पर वसई रोड एवं भायंदर स्टेशनों के बीच जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 26/27 सितम्बर, 2026 की मध्यरात्रि को अप और डाउन धीमी लाइनों पर 00:30 बजे से 04:30 बजे तक जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा। ब्लॉक अवधि के दौरान धीमी लाइन की सभी ट्रेनें विरार/वसई रोड और बोरीवली/भायंदर के बीच फास्ट लाइन पर चलाई जाएंगी। ब्लॉक अवधि के दौरान कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी। निरस्त उपनगरीय सेवाओं की विस्तृत सूची उपनगरीय खंड के सभी स्टेशनों पर उपलब्ध रहेगी।

रविवार, 27 सितम्बर, 2026 को दिवसकालीन ब्लॉक नहीं रहेगा।

यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त व्यवस्था को ध्यान में रखें।

पूर्वोत्तर रेलवे में नॉन–इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित,ट्रेन संख्या 19601 परिवर्तित मार्ग से चलेगी ; अवध एक्सप्रेस कुछ स्टेशनों पर नहीं ठहरेगी

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर–गोंडा खंड के स्वामी नारायण छपिया–मसकनवा–लखपत नगर–मनकापुर खंड में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग शुरू करने के सिलसिले में नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) कार्य के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। यह नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य और टेस्टिंग ब्लॉक 26 सितम्बर, 2026 से 27 सितम्बर, 2026 तक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा

जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

ठहराव निरस्त:

1) ट्रेन संख्या 19037 बांद्रा टर्मिनस–बरौनी अवध एक्सप्रेस 26 एवं 27 सितम्बर, 2026 को स्वामी नारायण छपिया तथा 27 सितम्बर, 2026 को मसकनवा स्टेशन पर नहीं ठहरेगी।

2) ट्रेन संख्या 19038 बरौनी–बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस 26 सितम्बर, 2026 को स्वामी नारायण छपिया और मसकनवा स्टेशनों पर नहीं ठहरेगी।

मार्ग में परिवर्तन:

26 सितम्बर, 2026 को यात्रा प्रारम्भ करने वाली ट्रेन संख्या 19601 उदयपुर सिटी–न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग वाया बाराबंकी–गोंडा–बस्ती–गोरखपुर–छपरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया बाराबंकी–अयोध्या कैंट–वाराणसी–औंड़िहार–छपरा के रास्ते चलेगी। इसके परिणामस्वरूप यह ट्रेन गोरखपुर, देवरिया सदर और सिवान स्टेशनों पर नहीं ठहरेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त व्यवस्था को ध्यान में रखें और उसी अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

एसएलबीसी, गुजरात ने ग्राहकों से बैंकिंग सेवाओं के लिए डिजिटल माध्यमों के अधिकतम उपयोग का अनुरोध किया

गांधीनगर : राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-गुजरात (एसएलबीसी-गुजरात) और उसके संयोजक 'बैंक ऑफ बड़ौदा' ने सभी बैंक ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना जारी की है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) द्वारा दिनांक 28, 29 और 30 सितंबर, 2026 को संभावित राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस प्रकार, लगातार तीन दिनों तक बैंकों की शाखाओं और कार्यालयों में नियमित सेवाओं के प्रभावित होने की पूर्ण संभावना हैं।

इस संदर्भ में ग्राहकों को होने वाली असुविधा को कम करने के उद्देश्य से सभी बैंकों द्वारा आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वित्तीय लेनदेन आसानी से हो सके, इसके लिए एसएलबीसी-गुजरात ने ग्राहकों को आवश्यक सुझाव दिए हैं। जिनमें, सभी महत्वपूर्ण बैंकिंग या चेक क्लियरिंग से जुड़े कामकाज 25 सितंबर तक पूर्ण कर लेना। आगामी दिनों की नकद जरूरतों का पहले से आयोजन करना और आवश्यकतानुसार एटीएम या कैश रिसाइक्लर मशीन का उपयोग करना शामिल है।

इसके अलावा, एसएलबीसी और उसके संयोजक बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी ग्राहकों से अनुरोध किया है कि शाखा जाए बिना ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम जैसे डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग करें।

अहमदाबाद मंडल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित,ई पत्रिका 'आश्रम सौरभ' के 56वें अंक का विमोचन

पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, अहमदाबाद में दिनांक 24.09.2026 को मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री वेद प्रकाश की अध्यक्षता में 'मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति' की तिमाही बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मंडल की ई-पत्रिका 'आश्रम सौरभ' के 56वें अंक का विमोचन किया गया।

हिंदी साहित्यकार दिनकर की जयंती एवं प्रश्न-मंच का आयोजन

बैठक से पूर्व महान हिंदी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती मनाई गई। राजभाषा विभाग द्वारा उनके जीवनवृत्त एवं साहित्य पर एक रोचक प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर आयोजित 'हिंदी प्रश्न-मंच' में रेलकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिसमें विजेताओं को मंडल रेल प्रबंधक द्वारा पुरस्कृत किया गया।

हिंदी में नवाचार पर बल

मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने अपने संबोधन में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की कि वे अपना अधिकाधिक कार्य राजभाषा हिंदी में करना सुनिश्चित करें साथ ही हिंदी में नवाचार को भी बढ़ावा दें। जिससे आमजन को रेल सेवाओं सहज एवं सुगम उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने दिनकर के साहित्यिक अवदान पर भी प्रकाश डाला।

अहमदाबाद मंडल में कार्मिकों को राजभाषा हिंदी में लिए मंडल स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिससे राजभाषा के प्रचार-प्रसार को गति मिलेगी। उन्होंने कहा "राजभाषा केवल पत्राचार की भाषा नहीं है, बल्कि संवाद को जीवंत और पारदर्शी बनाने का एक सशक्त माध्यम है। जब हम दैनिक कार्यों में आम बोलचाल की सरल हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो इससे न केवल कार्यों के निष्पादन में गति आती है, बल्कि आम जनता और रेल यात्रियों के साथ हमारा जुड़ाव भी और अधिक मजबूत होता है। हमें इसे केवल एक औपचारिक दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि अपनी सहज कार्यशैली का अभिन्न अंग बनाना चाहिए।"

बैठक में अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री विकास गढ़वाल सहित मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ 'प्रिवेंटिव विजिलेंस' का कवच

गुजरात सरकार सतर्कता जागरूकता को केवल 'सप्ताह' नहीं, बल्कि तीन महीने तक 'अलर्ट मोड' पर रखेगी

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने सरकारी प्रशासन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 को व्यापक स्वरूप दिया है। 'प्रोबिटी फॉर प्रॉस्पेरिटी' अर्थात 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' की थीम के साथ 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, 2026 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जाएगा। साथ ही 10 सितंबर से 9 दिसंबर, 2026 तक तीन महीने का निवारक सतर्कता अभियान चलाया जाएगा। भ्रष्टाचार होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय उसके कारणों और संभावनाओं को पहले ही दूर करने पर इस अभियान में विशेष जोर रहेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी (जो गृह मंत्री भी हैं) के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह तथा निवारक सतर्कता अभियान के दौरान राज्य के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, अधीनस्थ कार्यालयों, बोर्ड-निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय प्राधिकरणों को विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों-कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ, जनजागरूकता कार्यक्रम, निबंध-चित्र प्रतियोगिताएँ, क्षमता-वर्धन प्रशिक्षण और डिजिटल पहल के माध्यम से प्रशासन में पारदर्शिता का संदेश पहुँचाया जाएगा।

प्रिवेंटिव विजिलेंस पर मुख्य बल

गुजरात सतर्कता आयोग, एसीबी और विभिन्न विभागों के सहयोग से भ्रष्टाचार निवारण के संबंध में जनजागरूकता बढ़ाई जाएगी। सरकारी प्रक्रियाओं में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें सुधारने तथा प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

साइबर सुरक्षा तथा सरकारी खरीद में पारदर्शिता

गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक और एनएफएसयू के सहयोग से साइबर सिक्योरिटी और साइबर हाइजीन के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। दूसरी ओर उद्योग एवं खान विभाग तथा उद्योग आयुक्त कार्यालय द्वारा एमएसएमई और वेंडर्स के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया के संबंध में मास्टर क्लास, वर्कशॉप और कैंप आयोजित किए जाएँगे। 'सतर्क सप्लायर, स्ट्रॉन्ग गुजरात' के तहत जागरूकता बढ़ाने के साथ सरकारी खरीद के 'डूज एंड डोंट्स' का सार-संग्रह तैयार किया जाएगा और 500 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की योजना है।

निर्माण से वित्तीय लेन-देन तक क्षमता-वर्धन

मार्ग एवं भवन विभाग तथा नर्मदा, जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसर विभाग के अधिकारियों को अपडेटेड पीडब्ल्यूडी मैनुअल, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ऑडिट-अकाउंट्स तथा साइबर सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण प्रभाग, एसपीआईपीए तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से कंडक्ट रूल्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्राथमिक और विभागीय जाँच तथा सार्वजनिक सेवा में नैतिकता के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम और कॉमन फाउंडेशन कोर्स में विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी रूल्स तथा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को भी शामिल किया जाएगा।

वित्त विभाग द्वारा लेखा कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। एनएफएसयू के सहयोग से गुजरात लेखा सेवा वर्ग-1 और 2 के अधिकारियों को फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राजस्व प्रशासन में एथिक्स से एआई तक

राजस्व विभाग द्वारा एसपीआईपीए, जीएनएलयू और दीनदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वे एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से व्यापक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट-1988, अनुशासन-अपील और आचरण नियम, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, प्रिवेंटिव विजिलेंस के अलावा सीबीआई, जीवीसी, एसीबी और लोकायुक्त के विशेषज्ञों के व्याख्यान शामिल होंगे। आरटीआई एक्ट, सिटीजन चार्टर, समयसीमा में सेवाएँ, साइबर सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन, फिशिंग-साइबर फ्रॉड और प्रशासन में एआई के उपयोग के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आईटी खरीद और डेटा आधारित 'प्रेडिक्टिव विजिलेंस'

साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग आईटी खरीद, जीईएम, टेक्नोलॉजी मूल्यांकन, दस्तावेजीकरण, बिड रिजेक्ट होने के कारणों और शिकायत निवारण के संबंध में प्रशिक्षण देगा। आईआईटी गांधीनगर के सहयोग से 'प्रेडिक्टिव विजिलेंस फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर' के तहत डेटा, डिजिटल ट्विन्स, गेमिफिकेशन और डेटा एनालिटिक्स जैसे आधुनिक साधनों के माध्यम से जोखिम की मैपिंग तथा डेटा-ड्रिवन विजिलेंस स्टैक के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा।

डिजिटल सेवाएँ और सरकारी संपत्तियों का व्यवस्थित प्रबंधन

अधिक सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम के तहत लाने, नागरिक प्रतिक्रिया बढ़ाने और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जाएँगे। सरकारी जंगम संपत्तियों के डिजिटाइजेशन के लिए एक्शन प्लान, लीज करारों की समीक्षा, अतिक्रमणों की पहचान और उन्हें दूर करने की कार्रवाई तथा पुरानी या अप्रयुक्त संपत्तियों के नियमानुसार निपटान के संबंध में भी कदम उठाए जाएँगे।

इस प्रकार; सप्ताह तक सीमित न रहते हुए तीन महीने के अभियान के माध्यम से प्रशिक्षण, जनजागरूकता, डिजिटल टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, पारदर्शी खरीद, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और डेटा आधारित सतर्कता को एक साथ जोड़ा गया है। 'प्रोबिटी फॉर प्रॉस्पेरिटी' के संकल्प के साथ गुजरात में अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकोन्मुखी प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री का स्वागत ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम बना ग्रामीण किसानों एवं आम आदमी की समस्याओं के त्वरित निवारण का माध्यम

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सितंबर-2026 के राज्य स्वागत कार्यक्रम में भावनगर, मेहसाणा, जूनागढ, मोरबी और राजकोट के आम नागरिकों की प्रस्तुतियाँ सुनकर उनका निराकरण किया

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आम नागरिकों की प्रस्तुतियों और समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए टेक्नोलॉजीयुक्त दृष्टिकोण स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवन्सिस थ्रू एप्लिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी-स्वागत लोगों की प्रस्तुतियों के फलदायी निवारण का सक्षम माध्यम बना है।

श्री नरेन्द्र मोदी की जन सेवा साधना और राष्ट्रहित के लिए समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्यव्यापी सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस सेवा संकल्प अभियान को सितंबर-2026 के राज्य स्वागत कार्यक्रम में प्राप्त नागरिकों की प्रस्तुतियों के त्वरित निवारण से और गति दी है। हर महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित होने वाले राज्य स्वागत कार्यक्रम की सितंबर महीने की कड़ी में 200 से अधिक आवेदक मुख्यमंत्री के कार्यालय में उपस्थित रहे। पूरे राज्य में जिला स्वागत में कुल 2,277 और तहसील स्वागत में कुल 2,780, इस प्रकार; कुल 5,057 से अधिक आवेदकों के आवेदनों के संबंध में उचित आवश्यक कार्रवाई की गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष भावनगर, मेहसाणा, जूनागढ, मोरबी और राजकोट के जो आम नागरिक अपनी प्रस्तुति के साथ उपस्थित हुए थे, मुख्यमंत्री ने उन्हें शांतिपूर्वक सुनकर संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को प्रस्तुतियों के निवारण के लिए निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने भावनगर जिले के भावनगर तहसील के थळसर गाँव में भूमिगत सीवरेज लाइन की समस्या के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था करने तथा स्थल निरीक्षण कर फिजिबिलिटी के आधार पर सीवरेज लाइन डालने के लिए स्थानीय प्रशासन को कहा। मुख्यमंत्री ने मेहसाणा जिले के कडी तहसील में औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषित पानी के निपटान के संबंध में गंभीर संज्ञान लेते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव को ऐसी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के स्पष्ट निर्देश दिए। जूनागढ जिले के मांगरोल तहसील में लाबरकुवा-मेनज गाँव की सड़क का काम स्थानीय स्तर पर विरोध के कारण लंबे समय से लंबित होने की प्राप्त शिकायत के संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर को दिवाली से पहले सड़क का काम पूरा हो; यह सुनिश्चित करने की ताकीद की।

मुख्यमंत्री ने राजकोट महानगर पालिका के अधीन क्षेत्र में कबाड़ का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति द्वारा नागरिकों के लिए यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाली गतिविधि के संबंध में प्राप्त शिकायत में महानगर पालिका आयुक्त को तत्काल कार्रवाई करने तथा आवश्यकता पड़ने पर जगह सील करने के निर्देश के साथ एक सप्ताह में शिकायत का निपटारा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा; मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मोरबी महानगर पालिका क्षेत्र में किसान के खेत में एसटीपी के गंदे पानी के निपटान के संबंध में प्राप्त शिकायत के संदर्भ में 20 दिनों में 900 मीटर पाइपलाइन डालकर शिकायत का निवारण करने के लिए महानगर पालिका आयुक्त को कहा। मुख्यमंत्री ने बेचराजी एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के संदर्भ में उद्योग को पिछले तीन वर्षों से जो निर्माण अनुमति नहीं मिल रही थी, उसका आवश्यक निवारण 1 महीने में ही करने के लिए शहरी विकास प्रधान सचिव और चीफ टाउन प्लानर को निर्देश दिए।